



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 577]
No. 577]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 1980/पौष 5, 1902
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 1980/PAUSA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1980

का० आ० 984 (अ).—नैर-पत्रकार, समाचार-पत्र कर्मचारियों और श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की दरों की नियत या पुनरीक्षित करने में सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दो मजदूरी बोर्ड, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग और धारा 9 के अधीन क्रमशः 11 जून, 1975 और 6 फरवरी, 1976 को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1958 और 809, तारीख 11 जन, 1975 और 6 फरवरी, 1976 द्वारा गठित किए गए थे ;

और उक्त दो मजदूरी बोर्ड प्रभावी रूप में कार्य नहीं कर सके : और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 13क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 13घ की उपधारा (1) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 9 फरवरी, 1979 की दो अधिसूचना सं० का० आ० 81 (अ) और का० आ० 82(अ) द्वारा, नैर-पत्रकार, समाचार पत्र कर्मचारियों और श्रमजीवी पत्रकारों के लिए उक्त दो मजदूरी बोर्डों के स्थान पर अधिकरण प्रतिस्थापित किए गए थे ;

और पूर्वोक्त अधिकरणों ने 13 अगस्त, 1980 को केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त सिफारिशों के अध्याय II और अध्याय IV के पैरा 18 तथा अध्याय VI के पैरा 11 की परीक्षा करने का प्रस्ताव है और अब तक ऐसी परीक्षा पूरी नहीं हो जाती है और उम निमित्त अलग से आदेश जारी नहीं कर दिए जाने हैं तब तक समाचारपत्र स्थापन इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व लागू दरों पर मजदूरी भत्ता का संदाय करते रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरणों को इस आदेश की अनुसूची में संलग्न सिफारिशों के अध्याय II, IV और VI में अन्तर्निष्ठ अन्य सिफारिशों को इसमें इसने पश्चात् विनिर्दिष्ट ऐसे उपान्तरणों के अधीन रहते हुए स्वीकार कर लिया है। ये उपान्तर ऐसे हैं, जो सरकार की राय में अन्य सिफारिशों की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते ;

अतः केन्द्रीय सरकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश करता है कि :—

(क) अध्याय II के पैरा 20 के उप पैरा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(9) इन सिफारिशों का उन निर्बंधनों और शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन पर नियम 3(क) और 3(ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त उपनियमों और अतिरिक्त भत्ते मंजूर किए गए थे।”

(ख) अध्याय II के पैरा 20 के उपपैरा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(13) जहाँ किसी कर्मचारी को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है वहाँ वह उसी तारीख को समुचित वेतनमान में वेतनवृद्धि पाने का हकदार होगा जिसको वह इस आदेश के ठीक पूर्व हकदार था।”

(ग) अध्याय IV के पैरा 21 के उपपैरा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(9) इन सिफारिशों का उन निबंधों और शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन पर नियम 3(क) और 3(ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त उपलब्धियाँ और अतिरिक्त भत्ते मंजूर किए गए थे।”

(घ) अध्याय IV के पैरा 21 के उपपैरा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(13) जहाँ किसी कर्मचारी को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है वहाँ वह उस तारीख को समुचित वेतनमान में वेतनवृद्धि पाने का हकदार होगा जिसको वह इस आदेश के ठीक पूर्व हकदार था।”

(ङ) सभी वर्गों की समाचार एजेंसियों में ऐसे स्थापन जो इस समय मकान किराया भत्ते का संवाय कर रहे हैं, उसे देना जारी रखेंगे।

(च) सिफारिशों, समाचार एजेंसी के कर्मचारियों के संबंध में, मकान किराया भत्ते की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी यदि वह उसने से अधिक हैं जितना सिफारिशों के अनुसार अनुज्ञेय है।

अनुसूची

अध्याय II, IV, और VI में अन्तर्विष्ट सिफारिशें

[सं० बी० 24040/6/80—डब्ल्यू० बी०]

भार० के० ए० सुब्रह्मण्य,
अपर सचिव

अध्याय-II

सिफारिशें

भाग-I

प्रारंभिक

1. परिभाषा:

‘समाचार-प्रतिष्ठान’ ‘श्रमजीवी पत्रकार’ और ‘गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी’ शब्दों का वही अर्थ होगा जो श्रम-जीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955, जिसे इसके बाद ‘अधिनियम’ कहा गया है, में दिया गया है। इस भाग की सिफारिशों के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र ‘प्रतिष्ठान’ में समाचार एजेंसी शामिल नहीं होगी।

उस समाचार पत्र प्रतिष्ठान के मामले में जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष है, लेखा वर्ष जो विशेष वर्ष के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता है, से अभिप्राय वह कैलेंडर वर्ष होगा और उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में, जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष से भिन्न है, लेखा वर्ष से अभिप्राय प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से है, जिसका आधे से ज्यादा भाग उस विशेष वर्ष में आता है।

उदाहरण: यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होता है, तो अनुवर्ती पैरा (13) में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ ऐसे प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1977-78 से लगाया जाएगा। दूसरी ओर, यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अक्टूबर से शुरू होता है, तो इन पैरा (13) में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1976-77 से लगाया जाएगा।

उस समाचार पत्र प्रतिष्ठान के बारे में, जिसका लेखा वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है, लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें प्रथम छः मास आते हैं।

‘वर्ग’ से अभिप्राय: पैरा (14) में निर्दिष्ट वर्गों के अन्तर्गत उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से है।

किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान की ‘संकल आय’ से अभिप्राय: प्रतिष्ठान द्वारा अपने समाचारपत्र व्यापार के सभी स्रोतों से प्राप्त आय से है, जिनमें इसके समाचारपत्र या समाचारपत्रों का परिचालन और उनमें दिए गए विज्ञापन भी शामिल हैं। इसमें समाचारपत्र व्यापार में प्राप्त परिसम्पत्तियाँ और अजित राशि में से किए गए निवेदों के आय भी शामिल हैं।

परिचालन और विज्ञापन के संबंध में आय से तात्पर्य उस राशि से होगा जो वस्तुतः यथोचित कमीशन निकाल देने के पश्चात् प्राप्त होगी। यथोचित कमीशन वह कमीशन है, जो अन्तः आयकर प्राधिकारियों द्वारा किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में स्वीकार किया गया हो। उन मामलों में जहाँ आयकर प्राधिकारियों का ऐसा अन्तिम निर्णय उपलब्ध न हो, वहाँ परिचालन कमीशन आय का 28 प्रतिशत और विज्ञापन कमीशन 15 प्रतिशत होगा।

भाग-2

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण

2. गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों की मजदूरी-वर्गों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण निम्नांकित ढंग में किया जायेगा।

3. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 1977, 1978 और 1979 के तीन लेखा वर्षों की औसत सकल आय पर आधारित होगा।

4. उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिन्होंने उपर्युक्त तीन लेखा वर्षों में से दो लेखा वर्ष पूरे कर लिये हैं, उसका वर्गीकरण इन दो वर्षों की औसत सकल आय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान ने उक्त लेखा वर्षों का केवल एक ही लेखा वर्ष पूरा किया है, उसका वर्गीकरण उस वर्ष की सकल आय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

6. किसी नये समाचारपत्र प्रतिष्ठान, अर्थात् ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान का, जिसे पैरा 3, 4 और 5 के उपबन्ध लागू नहीं होते, वर्गीकरण उसके प्रथम लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस वर्ष की सकल आय के आधार पर होगा।

7. उपर्युक्त पैरा 4 से 6 तक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जिसका वर्गीकरण दो लेखा वर्षों के आधार पर किया जाता है, उस श्रेणी की अपेक्षा जिसमें उसे रखा जाना चाहिए, एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा और जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्गीकरण एक लेखा वर्ष के आधार पर किया जाता है, उसे दो श्रेणियाँ नीचे रखा जाएगा। किसी भी मामले में उसे श्रेणी-7 से नीचे नहीं रखा जाएगा।

8. यदि कोई वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान अपने पुराने समाचारपत्रों में से किसी एक समाचारपत्र को किसी नये केन्द्र से शुरू करता है, जहाँ उसका अन्य कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता, तो जहाँ तक नये

केन्द्र का संबंध है, उस समाचारपत्र को प्रथम वा लेखा वर्षों के लिए उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा, जिसमें उसे कुल सकल आय के आधार पर रखा जाता और वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जो ऐसे केन्द्र में कोई नया समाचारपत्र शुरू करता है, जहाँ उसका अन्य कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता नये केन्द्र में तीन लेखा वर्षों के लिए वैसे ही नीचे की श्रेणी में रखा जायेगा। जहाँ तक नये केन्द्र का संबंध है, किसी भी मामले में उस श्रेणी 7 से नीचे नहीं रखा जाएगा।

9. पैरा-ग्राफ 3 में 8 तक के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित वर्गीकरण उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि पैरा-ग्राफ 13 के उपबन्धों के अनुसार समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण नहीं हो जाता।

10. यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तो पैरा-ग्राफ 2 से 9 के उपबन्ध ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को लागू होंगे—मानों पिछले स्वामी के अधीन संगत लेखा वर्षों के संबंध में समाचारपत्र प्रतिष्ठान की सकल आय नये स्वामी के अधीन उन वर्षों की आय हो।

11. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को उनकी सकल आय के आधार पर निम्नलिखित 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:—

श्रेणी	सकल आय
1 श्रे०	25 करोड़ रुपये और उससे अधिक।
1 ए०	10 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 25 करोड़ रुपये से कम।
1.	4 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम।
2.	2 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 4 करोड़ रुपये से कम।
3.	1 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम।
4.	50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम।
5.	25 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 50 लाख रुपये से कम।
6.	10 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम।
7.	10 लाख रुपये से कम।

12. यदि उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान की जो श्रेणी 7 में नहीं आता विज्ञापन आय उसकी सकल आय से (विज्ञापन आय मिलाकर) 10 प्रतिशत से कम है, तो उसे उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाए, जिसमें वह अपनी सकल आय के आधार पर आयेगा।

पुनर्वर्गीकरण :

13. नियोजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छूट है कि वह लेखा वर्ष 1982 के पश्चात् किसी भी समय पिछले तीन लेखा वर्षों की औसत सकल आय के आधार पर समाचारपत्र प्रतिष्ठान के पुनर्वर्गीकरण की मांग कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण तीन लगातार लेखा वर्षों को किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं किया जाता चाहिए।

भाग 3

14. गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों की पुष्टि

1. प्रशासनिक कर्मचारी :

(क) श्रेणी-5, 6 और 7 से भिन्न समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के लिए।

वर्ग 1 : महाप्रबन्धक, प्रबन्धक और सैक्रेटरी।

वर्ग 2 : विभागीय प्रबन्धक (जो परिचालन, विज्ञापन विभागों, कार्मिकों आदि के प्रभारी हैं) मुख्य लेखापाल (लेखापाल), जन-गम्पक अधिकारी (श्रेणी 1 या, 1ए, 1 और 2 के समाचारपत्र प्रतिष्ठान)।

वर्ग 2ए सम्पर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक, सहायक विज्ञापन प्रबन्धक, सहायक परिचालन प्रबन्धक और कार्मिक अधिकारी।

वर्ग 3 : विभागीय प्रमुख (पांच लिपिकों के कार्य का पर्यवेक्षक) व्यापार अनुयाचक विक्रय प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, वैयक्तिक सहायक (स्टेनो सैक्रेटरी), सहायक लेखापाल, विज्ञापन प्रतिनिधि।

नोट : इन भाग में बी गई सिकारिओं अधिनियम में यथा परिभाषित गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों को लागू नहीं होगी, यद्यपि ये कर्मचारी उपर्युक्त 4 वर्गों में शामिल किये गए हैं।

वर्ग 4 : आणुलिपिक, सहायक लेखा लिपिक, पहरा व निगरानी निरोक्षक, खजाना, परिचालन निरोक्षक, विज्ञापन अनुवादक, बरिष्ठ लिपिक (अर्थात् ऐसे लिपिक जिनके कार्य में विशेष प्रकार का कौशल निहित है), लेखा मशीन/गणना मशीन और टेलेप्रिन्टर ऑपरेटर, क्षेत्र प्रबन्धक और ऐसे व्यक्ति जो डाइस्ट ऑफ़र्स आफ़ सकुलेशन का कार्य करते हैं, विज्ञापन प्रुफ़ रीडर, कलाकार (कमशियन और प्रोसेस)।

वर्ग 5 : कनिष्ठ लिपिक, (अर्थात् ऐसे लिपिक जो विज्ञापन की स्वीकृति और प्रकाशनों की विले के कार्य सहित सामान्य लिपिकीय कार्य करते हैं), समयपालक, टाइपिस्ट, टेलिफोन ऑपरेटर, पता लेखक, स्थागद् अधिकारी, मॉकिंग मशीन ऑपरेटर, कैंप्टीन पर्यवेक्षक, कनिष्ठ कलाकार (कामशियन और प्रोसेस)।

वर्ग 6 : खिल कलकटर, दफतरी या अध-लिपिकीय कार्य करने वाले, चौकीदार और वितरण चपरासी।

वर्ग 7 : चपरासी, सफाई कर्मचारी, बाहक, क्लीनर, कालदाय, कैंटीन दाय, पानी बाला, माली, दर्जी, अंदली, दर्बान, मसालची।

(ख) श्रेणी 5, 6 तथा 7 समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के लिए।

वर्ग 1 : महाप्रबन्धक, प्रबन्धक और सैक्रेटरी।

वर्ग 2 : विभागीय प्रबन्धक (जो परिचालन, विज्ञापन विभागों, कार्मिकों आदि के प्रभारी हैं) मुख्य लेखा पाल (लेखापाल)।

वर्ग 3 : विभागीय प्रमुख (पांच लिपिकों के कार्य का पर्यवेक्षक), व्यापार अनुयाचक, विक्रय प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, वैयक्तिक सहायक (स्टेनो-सैक्रेटरी), सहायक लेखापाल, विज्ञापन प्रतिनिधि।

नोट : इस भाग में बी गई सिकारिओं अधिनियम में यथा परिभाषित गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों को लागू नहीं होगी यद्यपि ये कर्मचारी उपर्युक्त 3 वर्गों में शामिल किए गए हैं।

वर्ग 4 : आशुलिपिक, सहायक लेखा लिपिक, पहरा व निगरानी निरीक्षक, खजांची, परिचालन निरीक्षक, विज्ञापन प्रतुवादक, वरिष्ठ लिपिक (अर्थात् ऐसे लिपिक जिनके कार्य में विशेष प्रकार का कौशल निहित है), लेखा मशीन/गणना मशीन और टेलीप्रिन्टर ऑपरेटर, खेल प्रबन्धक और ऐसे व्यक्ति, जो आडिट व्यूरो ऑफ सर्फेक्षण का कार्य करते हैं, विज्ञापन प्रूफ रीडर, कलाकार (कमशियल और प्रोसैस) ।

वर्ग 5 : कनिष्ठ लिपिक, (अर्थात् ऐसे लिपिक जो विज्ञापन की स्वीकृति और प्रकाशनों की निष्पत्ति के कार्य सहित सामान्य लिपिकीय कार्य करते हैं), समय-पालक, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, पता लेखक, स्वागत अधिकारी, फ्रेंकिंग मशीन ऑपरेटर, कैंपटीन पर्यवेक्षक, कनिष्ठ कलाकार (कमशियल और प्रोसैस) ।

वर्ग 6 : बिल कलक्टर, दफ्तरी या अर्ध-निपिकीय कार्य करने वाले, चौकीदार और वितरण चपरासी ।

वर्ग 7 : चपरासी, सफाई, कर्मचारी, वाहक, क्लीनर, कालबाय, कैंपटीन-बाय, वाटरबाय, माली, बर्गी, अर्देसी, दर्बान, मरालाखी ।

II. सारे समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के लिए कारखाना स्टाफ :

वर्ग 1 : ए और बी ग्रेड सुपरवाइजर, एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, आर्मेचर वाइंडर, मुख्य प्रेस विज्ञापन सहायक, कलर ऐंजर, फिल्म डेपोजिस्टर, लाइभो मैकेनिक, लाइवो ऑपरेटर, माइक्रो-फिल्म तकनीशियन, माइक्रोफिल्म यूनिट सहायक, मोनो मैकेनिक, मोनो-ऑपरेटर, मांटर मैकेनिक, आफसेट मशीनमैन, आफसेट मैकेनिक, आफसेट प्रिन्टर, आफसेट रिटचर, फोटोग्राफर (प्रोसैस), प्रेस विज्ञापन सहायक, प्रिंटर (फोरमैन कंपोजिंग सुपरवाइजर), रिप्रोफोटोग्राफर, रोटरी मैकेनिक, सीनियर पेस्टर, वरिष्ठ मुद्रक, सीनियर प्रिन्टर, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक (कंपोजिंग, साप्ताहिक कार्य और अन्य अनुभाग) टी० टी० एम० ऑपरेटर, कैमरामैन (आफसेट), सीनियर मैकेनिक ।

वर्ग 2 : ए० पी० एल० ऑपरेटर सहायक कलर प्रिन्टर, सहायक ले-आउट मैन, सहायक फोरमैन, सहायक मुद्रक, ब्लाक रूम सहायक, ब्लाक रूम मैन, कैमरा ऑपरेटर, कलर प्रिन्टर, कान्टेन्ट ऑपरेटर, कन्वेयर स्ट्राइकर मशीन मैन, संशोधक, उप फोरमैन (ग्लोबोइड), इन्वेयर, इन्लाइन ऑपरेटर, फाइनिंग सहायक, फालांगमैन, ग्रेनिंग मशीनमैन, हाफ टान ऐंजर, हैडिंग मैन, इम्पोजर, जॉइन्टर, जूनियर लाइवो मैकेनिक, कनिष्ठ मुद्रक, लूडलो ऑपरेटर, मेकअप मैन, पेज मैन, धातु मुद्रक, ऑपरेटर कलर (उच्च कौशल प्राप्त), फोटोग्राफर मशीनमैन, फोटो-सैटरिंग मशीन ऑपरेटर, प्रोसैस सहायक, प्रोसैस प्रिन्टर, प्रूफिंग मशीन मैन (ग्राफ सैट), रोसस्टार मशीन मैन, रोटरी मशीन हैडमैन, रोटरी मशीन मैन (सामान्य) रोटरी मशीन मैन, सारंग, स्टोरिओ ब्लाकमैन, स्टोरिओ कास्टर, स्टोरिओ कार्टिंग मैन, स्टोरिओ कार्टिंग हैडमैन, स्टोरिओ फायरमैन, स्टोरिओ मोडिफिंग मैन, स्टोनहैड, जूनियर मैकेनिक ।

ग्रुप 3 : एयर कंडीशन प्लांट क्लीनर, सहायक मुकदम, सहायक प्रिंटिंग मशीनमैन (सभी वर्ग), कार्टर, बड़ई, चाज हैण्ड (पैलेशिया), चिपर या राउटर, कलर वर्क प्रूफिंग प्रेसमैन, कापीहोल्डर, कटर, मादकिल मिस्त्री, डार्क रूम सहायक, डाइवर, ई-1-राउ ऑपरेटर, बिजली मिस्त्री फिटर, हैमरमैन, हैण्ड कंपोजिटर, हैण्ड प्रेसमैन, कास्टर, मशीनमैन, (सिवाय रोटरी मशीनमैन), मशीनमैन (प्रिंटिंग के सिवाय) मैगलमैन, मैसन, मेटल कास्टर, मिस्त्री, मोनोकास्टर, मोल्डर, म्यूज दफ्तरी, आफ-इंकमैन, ऑपरेटर (ब्लैंक और बाइट), पेन्टर, प्लेट मैकर (ब्लैंक और बाइट), नलसाज, रोलरमैकर, रोटरी मुकदम, स्लिंग मशीनमैन, वरिष्ठ चाज हैण्ड, साइन राइटर, स्टोर मुकदम, टर्नर, वायरमैन, वेल्डर, स्टोरिओमैन ।

ग्रुप 4 : सहायक मशीनमैन, सहायक फिटर, सहायक वेल्डर, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक टर्नर (5 वर्ष की सेवा वाले सभी), लुहार, रमोइया, रॉटिंग मशीनमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडिलमैन, लाइनएचर

ग्रुप 5 : बालर मुकदम, आरमैन, जिल्दबाज, केम रूम क्लीनर, कलर वर्क परीक्षक काउंटर, धफ्तरी, धोबी, फीडर, फ्लाइबाय, गैली प्रेसमैन, हविलदार, शैड चपरासी, इंटरले कटर, जमादार, नाइफ-गोपेनर, नेट मेन्टर, निपट मैन, लाइवो क्लीनर, लाक-अप मैन, माउन्टर, मोनो क्लीनर, नंबर, पैकर, पेपरमैन, प्लेट वाइंडर, प्रूफ पुल्पर, रील माइंडर, रोलरमैन, अर्ध कुशल बालर, स्टोरपेपर काउंटर, स्टिचर, बोलर (रोटरी क्लीनर), अन्य अर्ध कुशल परिचारक, क्लीनर और हैल्पर, बाहे उनका जो भी नाम हो ।

ग्रुप 6 : बालर, वाइंडिंग बाय, मजदूर, रील मोडर और ग्रानोडर, टोलीमैन ।

15. उपर्युक्त वर्ग ऐसे वर्ग हैं, जो आमतौर पर समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में पाए जाते हैं । कुछ समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने अन्य वर्ग सृजित किए हैं, जो प्रतिष्ठानों के लिए विशेष सुविधा वाले हैं और जिसे अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा साधारणतया अनिवार्य नहीं समझा जाता । जहाँ किसी प्रतिष्ठान में किसी विशेष वर्ग को किसी उच्चतर वर्ग में पढ़ने ही रखा गया है, इसे निम्नतर वर्ग में नहीं रखा जाएगा ।

16. किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह उपर्युक्त वर्गों में निदिष्ट किसी वर्ग या सभी वर्गों के कर्मचारियों को नियोजित करे । कुछ वर्गों के कार्य को मिलाया जा सकता है । ऐसे मामले में कर्मचारी को उस उच्चतम वर्ग का समझा जाएगा, जिसके कार्य आमतौर पर उसके द्वारा किए जाते हैं । अन्य मामलों में, किसी कर्मचारी द्वारा की जाने वाली मुख्य ड्युटियों से कर्मचारी के वर्ग का निर्धारण किया जाएगा । ऐसा वर्गीकरण करते समय पत्र या अनियमित या नैमित्तिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

भाग-IV

पारिश्रमिक

17. मजदूरी वेतनमान और ग्रेड : विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित भिन्न-भिन्न ग्रुपों के ग्रेड-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों को इससे संलग्न तालिका-1 में दिए गए वेतनमानों के अनुसार प्रति माह मूल वेतन दिया जाता जाएगा ।

मंहगाई भत्ता :

18. वर्तमान निर्धारित मंहगाई भत्ता, परिवर्ती मंहगाई भत्ता और मूल मजदूरी को, जिनमें सरकार के आदेश तारीख 1-4-1977 द्वारा दी गई अनारिम्प राहायता शामिल है, अखिल भारतीय श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 (1949=100) के साथ, जो 1-1-1979 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता देने का आधार है, और सूचकांक संख्या 425 (1949=100) के साथ जो 1-1-1980 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता देने का आधार है, जैसी भी स्थिति हो, जोड़ दिया गया है । श्रेणी I, II और III में रखे गए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के बारे में संशोधित वेतनमान और मंहगाई भत्ते के लागू होने की संगत तारीख 1-10-1979 है और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए संगत तारीख 1-10-1980 है । नया परिवर्ती मंहगाई भत्ता पुराने भत्ते के स्थान पर संशोधित कर्मचारियों के लिए इन दो तारीखों से दिया जाएगा । तथापि नए परिवर्ती मंहगाई भत्ते की गणना करते समय 1949=100 आधार की पुरानी सीरीज को छोड़ दिया जाएगा और 1960=100 आधार की सीरीज को अपनाया जाएगा । नए परिवर्ती मंहगाई भत्ते में 1960=100 सीरीज के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 प्वाइंटों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा । इसमें

6. जाहण्टों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 5 रुपये की दर से पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को अर्द्ध वार्षिक आधार पर संशोधन किया जाएगा। महंगाई भत्ते में मजदूरी स्तरों के साथ भी परिवर्तन किया जाएगा। जैसा कि सिकारियों के साथ संलग्न तालिका II में दिखाया गया है।

भाग-V

अन्य बातें :

19(क) मकान किराया भत्ता :

इसके साथ संलग्न तालिका III में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता भी इसमें उल्लिखित समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित जोंनों में तैयार अपने कर्मचारियों को दिया जाएगा। वगैरह कि :

- (1) जहां किसी कर्मचारी का किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा रिहायशी आवास दिया गया है, वहां कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
- (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, तो उसका समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय मकान किराया भत्ते की राशि में किया जाएगा।
- (3) यदि कोई समाचारपत्र प्रतिष्ठान किसी निधि में किसी कर्मचारी की ओर से कोई राशि जमा करता है ताकि कर्मचारी अपना रिहायशी आवास बना सके, तो ऐसी राशि का समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय मकान किराया भत्ते में किया जाएगा।

(ख) राशि पारी भत्ता :

इस के साथ संलग्न तालिका IV में निर्दिष्ट समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा उक्त तालिका में दर्शाई गई दरों पर अपने कर्मचारियों को राशि-पारी भत्ता दिया जाएगा, वगैरह कि यदि किसी कर्मचारी को राशि-पारी भत्ता नकद या जिन्त या दोनों रूप में पट्टी में मिलता है, तो उसका या उसके मूल्य की राशि का समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय राशि में किया जाएगा।

भाग VI

20. फिटमेंट नियम :

(1) फिटमेंट नियमों के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" से गैर-अधिकार समाचारपत्र "कर्मचारी" अभिप्रेत है।

(2) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियों" से उपरोक्त मूल्य सूचकांक 400 और 425 जैसी भी स्थिति हो, (आधार 1949-100) पर उनका मूल वेतन, निर्धारित महंगाई भत्ता, परिवर्तित महंगाई भत्ता तथा गैर-समाचारपत्र कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा की गई अधिसूचना तारीख पत्रा अप्रैल, 1977 के अनुसरण में दी गई अन्तरिम महंगाई (तत्पर्व भुगतान द्वारा), जो वैयक्तिक रूप से लागू है, अभिप्रेत होगी।

(3) (क) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियों" से "वर्तमान परिलब्धियों" के अलावा ऐसी परिलब्धियां अभिप्रेत हैं, जिनका उल्लेख नियम (2) में किया गया है, जो मूल मजदूरी महंगाई भत्ते या अन्तरिम सहायता में वृद्धि के रूप में समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा सामूहिक सौदाकारी, समझौते या पंचाट के फलस्वरूप दी गई है।

(ख) किसी कर्मचारी के "अतिरिक्त भत्तों" से किन्हीं भागिक भुगतानों से अभिप्रेत है, चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो किसी विनिष्ट प्रयोजन से संबंधित न हों और न ही वेतन या महंगाई भत्ते में, किसी संशोधन के लिए समायोजित करने हेतु स्वीकार किए गए हों।

(4) "संशोधित वेतनमान" से अभिप्रेत इन सिकारियों के अनुसार किसी कर्मचारी को लागू वेतनमान से होगा।

(5) संशोधित वेतनमान और महंगाई भत्ता श्रेणी 1 बी, I, II और III के बारे में पहली अक्टूबर, 1979 से लागू होगा। श्रेणी IV, V, VI और VII के बारे में संशोधित वेतनमान और महंगाई भत्ता पहली अक्टूबर 1980 से लागू होगा। इन तारीखों को इसके पश्चात "संगत तारीख" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) प्रत्येक कर्मचारी को उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के साथ संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जायेगा और उपयुक्त स्टेज पर उस वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा, जो स्थिति के अनुसार या तो प्रारम्भिक नए वेतनमान के न्यूनतम या प्रारम्भिक वेतनमान से अधिक पर होगा।

(7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है, परन्तु संशोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं है, तो उसके वेतन को उसके अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

(8) इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को संगत तारीख से पूर्व के पुराने वेतनमान में प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। ऐसी वेतनवृद्धियों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

वगैरह कि—

(1) किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं मिलेगा।

(2) किसी भी सूत्र में फिटमेंट या इन सिकारियों में निर्दिष्ट उपबन्धों के लागू होने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिलब्धियों की कुल राशि को कम नहीं किया जाएगा; शेष राशि, यदि कोई हो, को वैयक्तिक वेतन समझा जाएगा, जिसे भावी वेतन-वृद्धियों में खपा लिया जाएगा।

(9) (क) इन सिकारियों का उन शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन पर नियम (3) (क) में निर्दिष्ट अतिरिक्त परिलब्धियां दी गई थीं।

(ख) नियम 3(ख) में निर्दिष्ट "अतिरिक्त भत्ते" वैयक्तिक वेतन समझा जायेंगे जो भविष्य में संशोधित वेतनमानों की भावी वेतनवृद्धियों में खपा लिए जाएंगे।

(10) इन सिकारियों को लागू करने संबंधी सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के छ. माह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी या तो अपने वर्तमान वेतनमान और "वर्तमान परिलब्धियों" को रखने या संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में आने के लिए अपना विकल्प देगा।

(11) पिछले मजदूरी बोर्ड के अनुसार "वर्तमान परिलब्धियां" और परिवर्तित महंगाई भत्ता उस समय तक दिया जाता रहेगा, जब तक कर्मचारी नियम (10) के अधीन अपना विकल्प नहीं देता।

(12) जब किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को उपर्युक्त पैरा 13 के अन्तर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाता है तब कर्मचारी को उस श्रेणी के उपयुक्त संशोधित वेतनमान में फिट किया जाएगा। यदि मूल वेतन उस श्रेणी के संशोधित वेतनमान की स्टेज से मेल नहीं खाता, तो वर्गीकरण के बह जाने पर कर्मचारी का वेतन आगे उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा और वर्गीकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का वेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल वेतन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्तमान मूल वेतन तथा उसके नए वेतन के बीच के अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में समझा जाएगा या इसे भविष्य की वेतन वृद्धियों में खपा दिया जायेगा।

(13) जब किसी कर्मचारी का संगत तारीखों को, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है तब वह कर्मचारी उस तारीख से समुचित वेतनमान में वेतनवृद्धि का हफ्तार होगा।

21. गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी को उसकी शिथिल अवधि के दौरान उस पद के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 60 प्रतिशत दोजीका मिलेगा जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

22. किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान को लागू स्थायी आदेशों के उपबन्धों के अधीन किसी गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परीक्षार्थी के रूप में नियोजित किया जाएगा। इस परीक्षाधीन अवधि के दौरान उसे उस प्रतिष्ठान की श्रेणी और ग्रुप, जिसमें वह परीक्षार्थी है, के वर्ग को लागू वेतनमान के न्यूनतम से कम मूल वेतन नहीं दिया जाएगा तथा उसे उस पद के लिए ग्राह्य भत्ते भी दिए जाएंगे। उच्च पद में परीक्षार्थी के रूप में कार्य कर रहे गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी के मामले में, यदि वह उच्च पद के न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन पा रहा है, तो उसे परीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्न पद के वेतन के अनुरिक्त उच्च पद के न्यूनतम वेतन का 10% मिलेगा।

लागू होने की तारीख :

23(1) संशोधित वेतनमानों और महंगाई भत्ते के संबंध में सिकारियों संबंधित समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में पैरा 20(5) के अनुसार उन्हें लागू संगत तारीखों से प्रभावी होंगे।

(2) शेष सिकारियों केन्द्र सरकार के उस आदेश की तारीख से लागू होंगी जो इन सिकारियों को लागू करने के लिए धारा-12 के अधीन जारी किया जाएगा।

बकाया राशियों का भुगतान :

24. पैरा 20(5) में व्यवस्थित पूर्वपेसी तारीख से लागू होने के परिणामस्वरूप देय बकाया राशियाँ, यदि कोई हों, का भुगतान दो किस्तों से अधिक किस्तों में नहीं किया जाना चाहिए। यह भुगतान अधिनियम की धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश के प्रकाशन की तारीख से नौ मास के भीतर किया जाना चाहिए।

तालिका 1

गैर-पत्रकार प्रशासनिक कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
1 बी	1	कोई वेतनमान नहीं।	
(25 करोड़ रुपये और उससे अधिक)	2	1140-50-1340-75-1640-90-1910-110-2240 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	990-45-1170-60-1410-70-1620-85-1875 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	810-40-970-45-1150-50-1350-55-1570 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	670-27-778-30-898-33-1030-35-1170 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	610-14-680-15-755-16-819-17-887 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	550-13-615-14-685-15-745-16-809 रु० (5) (5) (4) (4)	18
1 ए	1	कोई वेतनमान नहीं।	
(10 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 25 करोड़ रुपये से कम)	2	1090-50-1290-70-1570-85-1825-100-2125 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	940-45-1120-55-1340-65-1535-80-1775 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	640-25-740-27-848-30-968-33-1100 रु० (4) (4) (4) (4)	16

तालिका-1

गैर-पत्रकार

प्रशासनिक कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
	6	580-13-645-14-715-15-775-16-839 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	525-12-585-13-650-14-706-15-766 रु० (5) (5) (4) (4)	18
I	1	कोई वेतनमान नहीं	
(4 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 10 करोड़ रु० से कम)	2	1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	700-30-820-35-960-50-1160-55-1380 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	610-23-702-25-802-27-910-30-1030 रु० (5) (4) (4) (4)	16
	6	555-12-615-13-680-14-736-15-796 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	500-11-555-12-615-13-667-14-723 रु० (5) (5) (4) (4)	18
II	1	1700 रुपये से कम नहीं ।	
(2 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 4 करोड़ रुपये से कम)	2	840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	665-30-785-35-925-45-1105-50-1305 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	590-21-674-23-766-25-866-27-974 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	530-11-585-12-645-13-697-14-753 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	475-10-525-11-580-12-628-13-680 रु० (5) (5) (4) (4)	18
III	1	1500 रुपये से कम नहीं ।	
(एक करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम)	2	770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 रु० (4) (4) (4) (4)	16

गैर-यत्नकार

प्रशासनिक कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का स्तर	वेतनमान	वर्ष
III	4	630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	555-19-631-21-715-23-807-25-907 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	500-10-550-11-605-12-653-13-705 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	450-9-195-10-545-11-589-12-637 रु० (5) (5) (4) (4)	18
IV (50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम)	1	1400 रुपये से कम नहीं ।	
	2	700-30-820-35-960-45-1095-50-1245 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	2ए	675-30-795-35-935-40-1055-45-1190 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	600-25-700-30-820-35-960-40-1120 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	560-25-660-30-780-35-920-40-1080 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	505-17-573-19-649-21-733-23-825 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	465-9-510-10-560-11-604-12-652 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	425-8-465-9-510-10-550-11-594 रु० (5) (5) (4) (4)	18
V (25 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 50 लाख रुपये से कम)	1	1300 रुपये से कम नहीं ।	
	2	660-30-780-35-920-40-1040-45-1175 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	600-25-700-30-820-35-960-40-1120 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	540-25-640-30-760-35-900-40-1060 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	460-15-520-17-588-19-664-21-748 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	400-9-445-10-495-11-539-12-587 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	350-7-385-8-425-9-461-10-501 रु० (5) (5) (4) (4)	18
VI (10 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन	1	1200 रुपये से कम नहीं ।	
	2	630-30-750-35-890-40-1010-45-1145 रु० (4) (4) (3) (3)	14

गैर-पत्रकार

प्रशासनिक कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
25 लाख रुपये से कम)	3	575-25-675-30-795-35-935-40-1095 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	500-20-580-25-680-30-800-35-940 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	420-13-472-15-532-17-600-19-676 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	375-8-415-9-460-10-500-11-544 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	325-6-355-7-390-8-422-9-458 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	1	1150 रुपये से कम नहीं ।	
	2	605-30-725-35-865-40-985-45-1120 रु० (4) (4) (4) (4)	14
VII (10 लाख रुपये से कम)	3	540-25-640-30-760-35-900-40-1060 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	480-20-580-25-660-30-780-35-920 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	410-11-454-13-506-15-566-17-634 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	355-7-390-8-430-9-466-10-506 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	300-5-325-6-355-7-383-8-415 रु० (5) (5) (4) (4)	18
		कारखाना कर्मचारी	
	1	770-35-910-50-1110-60-1350-70-1560 रु० (4) (4) (4) (3)	15
1बी (25 करोड़ रुपये और उससे अधिक)	2	700-30-820-40-980-50-1180-60-1420 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	675-30-795-35-935-45-1115-50-1315 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	650-30-770-35-910-40-1070-45-1250 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	600-25-725-27-860-29-976-31-1100 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	550-13-615-14-685-15-745-16-809 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	1	735-35-875-45-1055-55-1275-65-1470 रु० (4) (4) (4) (3)	15
1ए (10 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 25 करोड़ रुपये से कम)	2	670-30-790-35-930-45-1110-55-1330 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	645-30-765-35-905-40-1065-45-1245 रु० (4) (4) (4) (4)	16

गैर-पत्रकार

कारखाना कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
	4	620-30-740-35-880-40-1040-45-1220 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	570-23-685-25-810-27-918-29-1034 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	525-12-585-13-650-14-706-15-766 रु० (5) (5) (4) (4)	18
I (4 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम)	1	700-30-820-40-980-50-1180-60-1360 रु० (4) (4) (4) (3)	15
	2	640-30-760-35-900-40-1060-45-1240 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	615-30-735-35-875-40-1035-45-1210 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	590-25-690-30-810-35-950-40-1110 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	540-21-645-23-760-25-860-27-968 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	500-11-555-12-615-13-667-14-723 रु० (5) (5) (4) (4)	18
II (दो करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन चार करोड़ रुपये से कम)	1	665-30-785-35-925-45-1105-55-1270 रु० (4) (4) (4) (3)	15
	2	630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	595-25-695-30-815-35-955-40-1115 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	570-25-670-30-790-35-930-40-1090 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	520-19-615-21-720-23-812-25-912 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	475-10-525-11-580-12-628-13-680 रु० (5) (5) (4) (4)	18
III (एक करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन दो करोड़ रुपये से कम)	1	630-30-750-35-890-40-1050-50-1200 रु० (4) (4) (4) (3)	15
	2	595-25-695-30-815-35-955-40-1115 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	570-25-670-30-790-35-930-40-1090 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	550-25-650-30-770-35-910-40-1070 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	500-17-585-19-680-21-764-23-856 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	450-9-495-10-545-11-589-12-637 रु० (5) (5) (4) (4)	18

गैर-पत्रकार

कारखाना कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का श्रेण	वेतनमान	वर्ग
IV (50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम)	1	575-25-675-30-795-35-935-50-1085 रु० (4) (4) (4) (3)	15
	2	540-25-640-30-760-35-900-40-1060 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	520-25-620-30-740-35-880-40-1040 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	500-20-580-25-680-30-800-35-940 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	460-15-535-17-620-19-696-21-780 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	425-8-465-9-510-10-550-11-594 रु० (5) (5) (4) (4)	18
V (25 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 50 लाख रुपये से कम)	1	490-25-590-30-710-35-850-45-985 रु० (4) (4) (4) (3)	15
	2	460-25-560-30-680-35-820-40-980 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	440-20-520-25-620-30-740-35-880 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	420-20-500-25-600-30-720-35-860 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	380-13-445-15-520-17-588-19-664 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	350-7-385-8-425-9-461-10-501 रु० (5) (5) (4) (4)	18
VI (10 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम)	1	470-25-570-30-690-35-830-40-950 रु० (4) (4) (4) (3)	15
	2	445-20-525-25-625-30-745-35-885 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	425-20-505-25-605-30-725-35-865 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	400-20-480-25-580-30-700-35-840 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	360-11-415-13-480-15-540-17-608 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	325-6-355-7-390-8-422-9-458 रु० (5) (5) (4) (4)	18
VII (10 लाख रुपये से कम)	1	445-25-545-30-665-35-805-40-925 रु० (4) (4) (4) (3)	15
	2	415-20-495-25-595-30-715-35-855 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	3	390-15-450-20-530-25-630-30-750 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	4	365-15-425-20-505-25-605-30-725 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	330-9-375-11-430-13-482-15-542 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	6	300-5-325-6-355-7-383-8-415 रु० (5) (5) (4) (4)	18

तालिका II

महंगाई भत्ते की दरें

मूल्य वेतन स्लैब	प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को 363 (1960=100) के सूचकांक से 6 प्वाइंटों की प्रत्येक वृद्धि के लिए दी जाने वाली राशि
300 रुपये तक	5.00 रुपये
301 से 350 रुपये तक	5.25 „
351 से 400 रुपये तक	5.50 „
401 से 450 रुपये तक	6.00 „
451 से 500 रुपये तक	6.50 „
501 से 550 रुपये तक	7.00 „
551 से 700 रुपये तक	8.00 „
701 से 1000 रुपये तक	9.00 „
1001 से 1150 रुपये तक	9.50 „
1151 से 1300 रुपये तक	10.00 „
1301 से 1600 रुपये तक	11.00 „
1601 और उससे अधिक रुपये	11.00 „

तालिका III

मकान किराया भत्त की दरें

जोन	वेतन	श्रेणी I 'बी'	श्रेणी I 'ए'	श्रेणी-I	श्रेणी-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
'ए'					
(ऐसे नगर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 20 लाख या इससे अधिक है) ।	300 रु० से 1600 रु० तक 1601 रु० और इससे अधिक	वेतन का 8% (अधिकतम 128 रु०) 128 रु०	वेतन का 7% (अधिकतम 112 रु०) 112 रु०	वेतन का 6% (अधिकतम 96 रु०) 96 रु०	वेतन का 5% (अधिकतम 80 रु०) 80 रु०
'बी'					
(ऐसे नगर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या इससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है)	300 रु० से 1600 रु० तक 1601 रु० और इससे अधिक	वेतन का 7% (अधिकतम 112 रु०) 112 रु०	वेतन का 6% (अधिकतम 96 रु०) 96 रु०	वेतन का 5% (अधिकतम 80 रु०) 80 रु०	वेतन का 4% (अधिकतम 64 रु०) 64 रु०
'सी'					
(ऐसे नगर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है) ।	300 रु० से 1600 रु० तक 1601 रु० और इससे अधिक	वेतन का 6% (अधिकतम 96 रु०) 96 रु०	वेतन का 5% (अधिकतम 80 रु०) 80 रु०	वेतन का 4% (अधिकतम 64 रु०) 64 रु०	वेतन का 3% (अधिकतम 48 रु०) 48 रु०

तालिका-IV

राष्ट्रिय पारी बसे की बरें

राष्ट्रिय पारी भन्ना ह्म प्रकार दिया जाएगा :-

समाचारपत्र प्रतिष्ठान

श्रेणी I और II	4 रुपये प्रति रात
श्रेणी I और II	3 रुपये प्रति रात
श्रेणी III	2 रुपये प्रति रात

अध्याय IV

सिफारिशें

भाग I

प्रारम्भिक

1. परिभाषा

“समाचार प्रतिष्ठान”, “श्रमजीवी पत्रकार” और “गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी” शब्दों का वही अर्थ होगा जो श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955, जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा गया है, में दिया गया है। इस भाग की सिफारिशों के प्रयोजन के लिए “समाचारपत्र प्रतिष्ठान” में समाचार एजेंसी शामिल नहीं होगी।

उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के मामले में, जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष है, “लेखा वर्ष”, जो विशेष वर्ष के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, से अभिप्राय वह कैलेंडर वर्ष होगा और उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के संबंध में जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष से भिन्न है, “लेखा वर्ष” से अभिप्राय प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से है, जिसका आधे से ज्यादा भाग उस विशेष वर्ष में आता है।

उदाहरण : यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होता है, तो अनुवर्ती पैराग्राफों में लेखावर्ष 1977 का अर्थ ऐसे प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1977-78 में लगाया जाएगा। दूसरी ओर, यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा-वर्ष पहली अक्टूबर से शुरू होता है, तो इन पैराग्राफों में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1976-77 से लगाया जाएगा।

उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में, जिसका लेखा वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है, लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें प्रथम छः मास आते हैं।

“वर्ष” से अभिप्राय पैराग्राफ 14 में विनिर्दिष्ट ग्रुपों के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से है।

किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान की “सकल आय” से अभिप्राय प्रतिष्ठान द्वारा अपने समाचारपत्र व्यापार से सभी स्रोतों से प्राप्त आय से है जिसमें इसके समाचारपत्र या समाचारपत्रों का परिचालन और उनमें दिए गए विज्ञापन भी शामिल हैं। इसमें समाचारपत्र व्यापार में प्राप्त परिसम्पत्तियाँ और अज्ञित राशि में से किए गए निवेशों से आय भी शामिल है।

परिचालन और विज्ञापन के संबंध में आय से तात्पर्य उस राशि से होगा जो वस्तुतः यथाचित कमीशन देने के पश्चात् प्राप्त होगी। यथाचित कमीशन वह कमीशन है जो अन्ततः आयकर प्राधिकारियों द्वारा किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में स्वीकार किया गया हो। उन मामलों में जहाँ आयकर प्राधिकारियों का ऐसा अंतिम निर्णय उपलब्ध न हो, वहाँ परिचालन कमीशन आय का 2.8 प्रतिशत और विज्ञापन कमीशन 15 प्रतिशत होगा।

भाग II

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण

2. श्रमजीवी पत्रकारों की मेजदूरी-दगों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से किया जाएगा।

3. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 1977, 1978 और 1979 के तीन लेखा वर्षों की औसत सकल आय पर आधारित होगा।

4. उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिन्होंने उपर्युक्त तीन लेखावर्षों में से कोई लेखा वर्ष पूरा कर लिए हैं, उसका वर्गीकरण इन दो वर्षों की औसत सकल आय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान ने उक्त लेखा वर्षों का केवल एक ही वर्ष पूरा किया है, उसका वर्गीकरण उस वर्ष की सकल आय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

6. किसी नए समाचारपत्र प्रतिष्ठान, अर्थात् ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान का, जिसे पैरा 3, 4 और 5 के उपबंध लागू नहीं होते, वर्गीकरण उसके प्रथम लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात उस वर्ष की सकल आय के आधार पर होगा।

7. उपर्युक्त पैरा 4 से 6 तक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को, जिसका वर्गीकरण दो लेखा-वर्षों के आधार पर किया जाता है, उस श्रेणी की अपेक्षा, जिसमें उसे रखा जाना चाहिये, एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा और जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्गीकरण एक लेखा वर्ष के आधार पर किया जाता है उसे दो श्रेणियाँ नीचे रखा जाएगा। किसी भी मामले में उसे श्रेणी VII से नीचे नहीं रखा जाएगा।

8. यदि कोई वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान अपने पुराने समाचारपत्रों में से किसी एक समाचारपत्र को किसी नये केन्द्र से शुरू करता है जहाँ उसका अन्य कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता, तो जहाँ तक नए केन्द्र का संबंध है, उस समाचारपत्र को प्रथम दो लेखा वर्षों के लिए उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा, जिसमें उसे कुल सकल आय के आधार पर रखा जाता और वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जो ऐसे केन्द्र से कोई नया समाचारपत्र शुरू करता है, जहाँ उसका अन्य कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता, नए केन्द्र में तीन लेखा वर्षों के लिए वैसे ही नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा। जहाँ तक नए केन्द्र का संबंध है, किसी भी मामले में उसे श्रेणी VII से नीचे नहीं रखा जाएगा।

9. पैराग्राफ 3 से 8 तक के उपबंधों के अनुसार निर्धारित वर्गीकरण उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि पैराग्राफ 13 के उपबंधों के अनुसार समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण नहीं हो जाय।

10. यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तो पैराग्राफ 2 से 9 के उपबंध ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान को लागू होंगे मानो पिछले स्वामी के अधीन संगत लेखा वर्षों के संबंध में समाचारपत्र प्रतिष्ठान का सकल आय नये स्वामी के अधीन इन वर्षों की आय हो।

11. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को उनकी सकल आय के आधार पर निम्नलिखित 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :-

श्रेणी	सकल आय
1	2
1 को०	25 करोड़ रुपये और उससे अधिक,
1 ए०	10 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 25 करोड़ रुपये से कम,

1	2
I	4 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम
II	2 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 4 करोड़ रुपये से कम,
III	एक करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम
IV	50 लाख रुपये और उससे अधिक, लेकिन एक करोड़ रुपये से कम,
V	25 लाख रुपये और उससे अधिक, लेकिन 50 लाख रुपये से कम,
VI	10 लाख रुपये और उससे अधिक, लेकिन 25 लाख रुपये से कम,
VII	10 लाख रुपये से कम

12. यदि उस समाचारपत्र प्रतिष्ठान की, जो श्रेणी VII में नहीं आता, विज्ञापन आय उसकी सकल आय (विज्ञापन आय निकाल कर) से 40 प्रतिशत से कम है, तो उसे उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाए, जिसमें वह अपनी सकल आय के आधार पर जाएगा।

पुनर्बर्गीकरण :

13. नियोजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छूट है कि वह लेखा वर्ष 1982 के पश्चात् किसी भी समय पिछले तीन लेखा वर्षों की औसत सकल आय के आधार पर समाचारपत्र प्रतिष्ठान के पुनर्बर्गीकरण की मांग कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा बर्गीकरण तीन लगातार लेखा वर्षों की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं किया जाना चाहिए।

भाग III

श्रमजीवी पत्रकारों की सुविधा

14. I. पूर्णकालिक कर्मचारी

(क) श्रेणी V, VI और VII से भिन्न श्रेणी के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में:—

ग्रुप 1 : संपादक।

ग्रुप 1 ए : रेजिडेंट संपादक, सहायकी संपादक, संयुक्त संपादक, उप-संपादक।

ग्रुप 1 बी : सहायक संपादक, लीडर लेखक, समाचार ब्यूरो के प्रमुख, समाचार संपादक, विशेष संवाददाता।

ग्रुप 2 : उप और सहायक समाचार संपादक, चीफ रिपोर्टर, प्रमुख उप संपादक, खेल-कूद संपादक, वाणिज्य संपादक, फिल्म संपादक, श्रमजीवी संपादक, कार्टूनकार, सांख्यिकी या अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख, मुख्य समाचार फोटोग्राफर, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, मुख्य सूचना सहायक, मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार, राज्य की राजधानियों में राज्य सरकार के प्रत्यायित प्रधान संवाददाता, केन्द्रीय सरकार के प्रत्यायित विशेष संवाददाता से भिन्न संवाददाता, और अन्य अनुभागीय या बीच प्रमुख, जिन्हें उच्च वर्ग में न रखा गया हो।

ग्रुप 2 ए : उप प्रमुख उप संपादक या वरिष्ठ उप संपादक, उप प्रमुख रिपोर्टर या वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ सुलेखकार, वरिष्ठ कलाकार, वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष तथा वरिष्ठ सूचना सहायक।

ग्रुप 3 : उप संपादक, रिपोर्टर, संवाददाता, समाचार फोटोग्राफर, कलाकार, सुलेखकार, पुस्तकाध्यक्ष, सूचना सहायक, मुख्य प्रूफ रीडर।

ग्रुप 4 : प्रूफ रीडर और किसी अन्य ग्रुप के अंतर्गत आने वालों से भिन्न सभी श्रमजीवी पत्रकार, यदि संस्थान द्वारा उन्हें उच्च श्रेणी में न रखा गया हो।

(ख) श्रेणी V, VI और VII के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में :—

ग्रुप 1 : संपादक।

ग्रुप 1बी : सहायक संपादक, लीडर लेखक, समाचार संपादक, विशेष संवाददाता।

ग्रुप 2 : मुख्य उप संपादक, मुख्य रिपोर्टर, खेल-कूद संपादक, वाणिज्य संपादक, कार्टूनकार, सांख्यिकीय प्रभाग के प्रमुख, अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख राज्यों की राजधानी में राज्य सरकार के प्रत्यायित प्रधान संवाददाता, विशेष संवाददाता से भिन्न केन्द्रीय सरकार के प्रत्यायित संवाददाता।

ग्रुप 3 : उप संपादक, रिपोर्टर, संवाददाता, समाचार फोटोग्राफर, सुलेखकार, कलाकार, पुस्तकाध्यक्ष, सूचना सहायक और मुख्य प्रूफ रीडर।

ग्रुप 4 : प्रूफ रीडर और किसी अन्य ग्रुप के अंतर्गत आने वालों से भिन्न सभी श्रमजीवी पत्रकार, यदि संस्थान द्वारा उन्हें उच्च श्रेणी में न रखा गया हो।

(श्रमजीवी पत्रकारों के विभिन्न वर्गों की कार्य परिभाषा :— परिशिष्ट 1 देखें।)

II. अर्धकालिक कर्मचारी :—

“अर्धकालिक संवाददाता” का अर्थ एक ऐसे संवाददाता है जो कि समाचार संस्थान का अर्धकालिक कर्मचारी हो और जिसका प्रधान व्यवसाय पत्रकारिता हो।

15. किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह उपर्युक्त ग्रुपों में निदिष्ट किसी वर्ग या सभी वर्गों के कर्मचारी नियोजित करे। कुछ कार्यों को मिलाया जा सकता है और ऐसे मामले में कर्मचारी को उसे उच्चतम वर्ग का समझा जाएगा जिस वर्ग का वह सामान्यतः कार्य करता है। ऊपर पैरा 14 I में उल्लिखित कोई वर्ग, जिसे कोई समाचारपत्र प्रतिष्ठान उच्चतर वर्ग के रूप में मानता है, जहां तक उस प्रतिष्ठान का संबंध है, उच्चतर वर्ग में बना रहेगा।

16. किसी कर्मचारी के प्रधान कर्तव्यों द्वारा ही उसके वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसा बर्गीकरण करने समय पत्र या अनियमित या नैमित्तिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

भाग IV

पारिश्रमिक :

17. मजदूरी बेतलमान और ग्रेड :

विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित भिन्न-भिन्न ग्रुपों के श्रमजीवी पत्रकारों को इससे संलग्न तालिका I में दिए गए बेतलमानों के अनुसार प्रतिमाह मूल बेतल दिया जाना चाहिए।

मंहगाई भत्ता :

18. वर्तमान निर्धारित मंहगाई भत्ता, परिवर्ती मंहगाई भत्ता और मूल मजदूरी को, जिसमें सरकार के आदेश तारीख 1-4-1977 द्वारा दी गई अनंतिम सहायता शामिल है, अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता

भाग-VI

21. फिटमेंट नियम

- (1) फिटमेंट नियमों के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" से "श्रमजीवी पत्रकार" अभिप्रेत है।
- (2) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियों" से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 और 425 जैसी भी स्थिति हो, (आधार 1949=100), पर उनका मूल वेतन, निर्धारित मंहगाई भत्ता, परिवर्ती मंहगाई भत्ता तथा श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधि-सूचना तारीख पहली अप्रैल, 1977 के अनुसरण में दी गई अंतरिम सहायता (तदर्थ भुगतान द्वारा) जो वैयक्तिक रूप से लागू है, अभिप्रेत होगी।
- (3) (क) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियों" से "वर्तमान परिलब्धियों" के अलावा ऐसी परिलब्धियां अभिप्रेत हैं, जिनका उल्लेख नियम (2) में किया गया है, जो मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ते या अंतरिम सहायता में वृद्धि के रूप में समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा सामूहिक सौदाकारी समझौते या पंचाट के फलस्वरूप दी गई है।
- (ख) किसी कर्मचारी के "अतिरिक्त भत्तों" से किन्हीं मासिक भुगतानों से अभिप्रेत है, चाहे उनका कोई भी नाम हो, किसी विशिष्ट प्रयोजनों से संबंधित न हो और न ही वेतन या मंहगाई भत्ते में किसी संशोधन के लिए समा-योजित करने हेतु स्वीकार किए गए हों।
- (4) "संशोधित वेतनमान" से अभिप्रेत दत्त सिफारिशों के अनुसार किसी कर्मचारी को लागू वेतनमान से होगा।
- (5) संशोधित वेतनमान और मंहगाई भत्ता श्रेणी I बी, 1 ए, I, II और III के बारे में पहली अक्टूबर, 1979 से लागू होगा। श्रेणी IV, V, VI और VII के बारे में संशोधित वेतनमान और मंहगाई भत्ता पहली अक्टूबर, 1980 से लागू होगी। इन तारीखों को इसके पश्चात् "संगत तारीख" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक कर्मचारी को उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के साथ संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाएगा और उपयुक्त स्टेज पर उस वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा, जो नियुक्ति के अनुसार या तो प्रारंभिक नए वेतनमान के न्यूनतम या प्रारंभिक वेतनमान से अधिक पर होगा।
- (7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हैं, परन्तु संशोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं हैं, तो उसके वेतन को उससे अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
- (8) इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी को संगत तारीख से पूर्व के वेतनमान में प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। ऐसी वेतन वृद्धियों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि :-

- (i) किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं मिलेगा।
- (ii) किसी भी सूरत में फिटमेंट या इन सिफारिशों में निर्दिष्ट उपबन्धों के लागू होने के परिणाम स्वरूप वर्तमान परिलब्धियों की कुल राशि को कम नहीं किया

मूल्य सूचकांक 400 (1949=100) के साथ, जो 1-1-79 से लागू होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता देने का आधार है, और सूचकांक संख्या 425 (1949=100) के साथ जो 1-1-1980 से लागू होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता देने का आधार है, जैसी भी स्थिति हो, जोड़ दिया गया है। श्रेणी I बी, 1 ए, I, II, और III में रखे गए समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के बारे में संशोधित वेतनमान और मंहगाई भत्ते के लागू होने की संगत तारीख 1-10-1979 है और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए संगत तारीख 1-1-1980 है। नया परिवर्तन मंहगाई भत्ता पुराने भत्ते के स्थान पर संबंधित कर्मचारियों के लिए इन दो तारीखों से दिया जाएगा। तथापि, नए परिवर्ती मंहगाई भत्ते की गणना करने समय 1949=100 आधार की पुरानी सीरीज को छोड़कर दिया जाएगा और 1960=100 आधार की सीरीज को अपनाया जाएगा। नए परिवर्ती मंहगाई भत्ते में 1960=100 सीरीज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 प्वाइंटों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा। इसमें 6 प्वाइंटों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 5 रुपये की दर से पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को अर्ध-वार्षिक आधार पर संशोधन किया जाएगा। मंहगाई भत्ते में मजदूरी स्लेबों के साथ भी परिवर्तन किया जाएगा, जैसा कि सिफारिशों के साथ संलग्न तालिका II में दिखाया गया है।

अंशकालिक संवाददाता

19. प्रत्येक अंशकालिक संवाददाता को जैसे ही स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता को मिलने वाली मूल मजदूरी (मूल वेतन-मंहगाई भत्ता) का 1/3 से कम नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह अवसरों का समय आधार पर की जानी चाहिए जिसकी दर पारस्परिक बातचीत द्वारा निर्धारित की जाएगी। शर्त यह है कि कोई भी समाचारपत्र प्रतिष्ठान अंशकालिक संवाददाता पर किसी प्रकार की कोई ऐसी रोक नहीं लगाएगा कि वह एक से अधिक समाचारपत्र के लिए काम नहीं करेगा, जब तक कि वह पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं हो जाता।

भाग V

अन्य सत्ते :

20. (क) : मकान किराया सत्ता :

इसके साथ संलग्न तालिका III में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता भी उसमें उल्लिखित समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित ओनों में तैनात अपने कर्मचारियों को दिया जाएगा। बशर्ते कि :-

- (1) जहां किसी कर्मचारी को किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान द्वारा रिहायशी आवास दिया गया है वहां कोई मकान किराया, भत्ता देय नहीं होगा।
- (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, तो उसका समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय मकान किराया भत्ते की राशि में किया जाएगा।
- (3) यदि कोई समाचारपत्र प्रतिष्ठान किसी विधि में किसी कर्मचारी की ओर से कोई राशि जमा करता है ताकि कर्मचारी अपना रिहायशी आवास बना सके, तो ऐसी राशि का समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय मकान किराया भत्ते में किया जाएगा।

(ख) राशि पारी सत्ता

इसके साथ संलग्न तालिका IV में निर्दिष्ट समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा उक्त तालिका में दर्शाई गई दरों पर अपने कर्मचारियों को राशि पारी भत्ता दिया जाएगा। बशर्ते कि यदि किसी कर्मचारी को राशि पारी भत्ता नगद या ज़िन्म या दोनों में पहले से मिलता है, उसका या उसके मूल्य की राशि का समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय राशि में किया जाएगा।

जाएगा, जो राशि, यदि कोई हो, को वैयक्तिक वेतन गमना जाएगा जिसे भावी वेतन वृद्धियों में खपा लिया जाएगा।

- (9) (क) इन सिकांरियों का उन शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन पर नियम 3(क) में निविष्ट अनिश्चित परिलब्धियाँ दी गई थीं।

(ख) नियम 3(ख) में निविष्ट “अनिश्चित भत्ते” वैयक्तिक वेतन समझे जाएंगे जो भविष्य में संशोधित वेतनमानों को भावी वेतन वृद्धियों में खपा लिया जाएगा।

- (10) इन सिकांरियों को लागू करने सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के छ माह के भीतर, प्रत्येक कर्मचारी या तो अपने “वर्तमान वेतनमान” और “वर्तमान परिलब्धियों” को रखने या संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में आने के लिए अपना विकल्प देगा।

- (11) पिछले मजदूरी बोर्ड के अनुसार “वर्तमान परिलब्धियाँ” और परिवर्ती मंहगाई भत्ता उस समय तक दिया जाता रहेगा जब तक कर्मचारी नियम (10) के अधीन अपना विकल्प नहीं देता।

- (12) जब किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान को उपर्युक्त पैरा 13 के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाता है, तब कर्मचारी को उस श्रेणी के उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में फिट किया जाएगा। यदि मूल वेतन उस श्रेणी के संशोधित वेतनमान की स्टेज से कम नहीं होता, तो वर्गीकरण के बत जाने पर कर्मचारी का वेतन अपने उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा और वर्गीकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का वेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। हमारे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल वेतन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्तमान मूल वेतन तथा उसके नए वेतन के बीच के अन्तर का वैयक्तिक वेतन के रूप में समझा जाएगा या इसे भविष्य की वेतन वृद्धियों में खपा दिया जाएगा।

- (13) जब किसी कर्मचारी को, संगत तारीखों को, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है, तब वह उस तारीख से समुचित वेतनमान में वेतन वृद्धि का हकदार होगा।

22. श्रमजीवी पत्रकार को, उसकी शिष्ट अर्थात् के दौरान उस पद के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 60 प्रतिशत बचोफा मिलेगा जिसके लिए उससे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

23. किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान को लागू स्थायी आदेशों के उपबन्धों के अध्याधीन, किसी श्रमजीवी पत्रकार को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परीक्षार्थी के रूप में नियोजित किया जाएगा। इस परीक्षाधीन अवधि के दौरान उसे उस प्रतिष्ठान की श्रेणी और ग्रुप, जिसमें वह परीक्षार्थी है, के वर्ग का लागू वेतनमान के न्यूनतम से कम मूल वेतन नहीं दिया जाएगा तथा उसे उस पद के लिए ग्राह्य भत्ते भी दिए जाएंगे। उच्च पद में परीक्षार्थी के रूप में कार्य कर रहे श्रमजीवी पत्रकार के मामले में, यदि वह उच्च पद के न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन पा रहा है, तो उसे परीक्षाधीन अवधि के दौरान निचले पद के वेतन के अनुरूप उच्च पद के न्यूनतम वेतन का 10 प्रतिशत मिलेगा।

लागू होने की तारीख

24. (1) संशोधित वेतनमानों और मंहगाई भत्ते के संबंध में सिकांरियों संशोधित समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में पैरा 21(5) के अनुसार उन्हें लागू संगत तारीखों से प्रभावी होगी।

- (2) जो सिकांरियों केन्द्र सरकार को उस आवेदन की तारीख से लागू होंगी जो इन सिकांरियों को लागू करने के लिए धारा 12 के अधीन जारी किया जाएगा।

बकाया राशियों का भुगतान

25. पैरा 21 (5) में व्यवस्थित पूर्वपिकी तारीख से लागू होने के परिणामस्वरूप देय बकाया राशियों, यदि कोई हों, का भुगतान दो किस्तों से अधिक किस्तों में नहीं किया जाना चाहिए। यह भुगतान अधिनियम की धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आवेदनों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाना चाहिए।

अनुसूची I

ग्रुप 1

“संपादक” वह व्यक्ति है जो समाचारपत्र के सम्पादकीय साहज को निर्देश देता है और उसका पर्यवेक्षण करता है।

ग्रुप-1 क

“रेजिडेंट सम्पादक” वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र के सम्पादक के रूप में ऐसे केन्द्र पर कार्य करता है जो समाचार पत्र के प्रकाशन के मूल स्थान से भिन्न स्थान पर स्थित है।

“एसोसिएट सम्पादक” या “संयुक्त सम्पादक” या “उप सम्पादक” वह व्यक्ति है जो सम्पादक की उसके कार्य के सम्पादन में सहायता करता है।

ग्रुप-1बी

“सहायक सम्पादक” वह व्यक्ति है जो सम्पादक की उसके कार्य के निष्पादन में सामान्यतः टिप्पणियों और विचारों के सम्बन्ध में सहायता करता है और सम्पादकीय लेख लिखता है तथा अन्य कापी लिखता है जिसमें पुनरीक्षण, टिप्पणी और आलोचना शामिल होती है।

“लीडर लेखक” वह व्यक्ति है जो नियमित रूप से सम्पादकीय लेख लिखता है और अन्य कापी भी लिखता है जिसमें पुनरीक्षण, टिप्पणी या आलोचना शामिल होती है।

“समाचार सम्पादक” वह व्यक्ति है जो समाचार विभाग के कार्य को समन्वित करता है तथा उसका पर्यवेक्षण करता है और समाचारपत्र के सभी संस्करणों के समाचारों के लिए उत्तरदायी होता है।

“समाचार कार्यालय प्रधान” वह व्यक्ति है जो समाचार का कार्यालय के कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा कार्यालय के सदस्यों को कार्य सौंपता है।

“विशेष संवाददाता” वह व्यक्ति है जिसके कार्यों में अभिज्ञात संवाददाता के रूप में नियमित रूप से संसदीय, राजनीतिक और सामान्य महत्व के सभी समाचारों को सूचित करना और उनकी व्याख्या करना शामिल है या अन्यथा केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय या किसी विदेशी केन्द्र या जो एक से अधिक राज्यों में या किसी अन्य स्थान पर, जहाँ उसे ऐसा काम सौंपा जाए। नियमित रूप से उसी प्रकार के कार्य करता है।

ग्रुप-2

“उप या सहायक समाचार सम्पादक” वह व्यक्ति है जो सामान्यतः समाचार सम्पादक की उसके कार्य निष्पादन में सहायता करता है और/या नगर के संस्करण के प्रकाशन का प्रभारी होता है।

“मुख्य रिपोर्टर” वह व्यक्ति है जो प्रकाशन के केन्द्र में सभी रिपोर्टरों का प्रभारी होता है, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा विधायी, राजनीतिक या सामान्य महत्व के सभी समाचारों को नियमित रूप से प्रकाशित करता है और उसकी व्याख्या करता है।

"मुख्य उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो मूल्य डेस्क में पारी का चार्ज सम्भालता है, एक या अधिक उप-सम्पादकों को कार्य आवंटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है और वह सामान्यतः समाचार के निर्धारण और समाचार-पत्र में या किसी विशेष संस्करण या उसके भाग में सामान्य प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है।

"खेल-कूद सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार-पत्र के खेल-कूद अनुभाग का प्रभारी होता है। वह खेल-कूद तथा सम्बद्ध कार्य-कलाओं सम्बन्धी समाचार तथा विचारों के कार्य को निपटाता है, वह एक या उससे अधिक रिपोर्टरों और एक या उससे अधिक उप-सम्पादकों को कार्य आवंटित करता है और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है और वह सामान्यतः समाचार के स्थान निर्धारण, खेल-कूद समाचार के सामान्य प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है।

"वाणिज्य सम्पादक" वह व्यक्ति है जो वाणिज्य, वित्त, व्यापार और उद्योग में सम्बन्धित समाचार तथा विचारों में सम्बन्धित होता है और उन पर टिप्पणियाँ देता है तथा एक या उससे अधिक रिपोर्टरों को कार्य आवंटित करता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है।

"फिल्म सम्पादक" वह व्यक्ति है जो फिल्मों तथा स्टेज में सम्बन्धित समाचार तथा विचारों के बारे में कार्यवाही करता है और स्टेज तथा स्क्रीन के सम्बन्ध में विभिन्न कालों या पृष्ठ का प्रभारी होता है तथा एक या अधिक थ्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

"सैनिकी सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार के महत्व के साहित्यिक या मनोरंजक बातों में सम्बन्धित समाचारों तथा विचारों के बारे में कार्यवाही करता है तथा साहित्यिक या इस प्रकार के अन्य सम्बद्ध मामलों में सम्बन्धित विभिन्न कालों या पृष्ठ का प्रभारी होता है तथा दो या अधिक थ्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

"कार्टूनकार" वह व्यक्ति है जो कार्टूनों तथा व्यंग्य चित्रों के माध्यम से समाचारों तथा घटनाओं के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ देता है।

"साक्ष्यिकी या अनुसंधान प्रभाग का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो साक्ष्यिकीय या अनुसंधान प्रभाग का प्रभारी होता है जो किसी विस्तीर्ण समाचार-पत्र में वाणिज्य, वित्त, व्यापार और उद्योग में सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करता है और एक या अधिक थ्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

"मुख्य समाचार फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है जो एक या अधिक समाचार फोटोग्राफरों को कार्य आवंटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

"मुख्य पुस्तकाध्यक्ष" या "मुख्य इण्डेक्स सहायक" या "मुख्य सुलेख-कार" या "मुख्य कलाकार" वह व्यक्ति है जो क्रमशः मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष और मुख्य इण्डेक्स सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

शृप-2 ए

"उप मुख्य उप-सम्पादक" या "वरिष्ठ उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो, मुख्य उप-सम्पादक की दृष्टियों के निष्पादन में उसकी नियमित रूप से सहायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।

1105 GI/80-3

"उप मुख्य-रिपोर्टर" या "वरिष्ठ रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो मुख्य रिपोर्टर की सहायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।

"वरिष्ठ संवाददाता" या "विशेष और प्रधान संवाददाता" में भिन्न एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दृष्टियों में प्रकाशन के केन्द्र में भिन्न किसी महत्वपूर्ण केन्द्र पर महत्वपूर्ण समाचारों की रिपोर्ट देना शामिल है और जिसके लिए कम से कम पांच वर्ष की सेवा जरूरी है।

"वरिष्ठ सुलेखकार", "वरिष्ठ कलाकार", "वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष" और "वरिष्ठ इण्डेक्स सहायक" वे व्यक्ति हैं, जो क्रमशः मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष और मुख्य इण्डेक्स सहायक की सहायता करते हैं और जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो।

शृप 3

"उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सभी प्रकार के समाचारों को प्राप्त करता है, चयन करता है, सक्षिप्त करता है, विस्तार करता है, अनुवाद करता है, सम्पादित करता है और शीर्षक देता है तथा इन सभी कार्यों में से कुछ कार्य या सभी कार्य कर सकता है।

"रिपोर्टर" वह व्यक्ति है, जो किसी विभिन्न केन्द्र पर सूचना एकत्र करता है और प्रस्तुत करता है।

"संवाददाता" वह व्यक्ति है, जो प्रकाशन केन्द्र में भिन्न किसी केन्द्र में समाचार प्राप्त करता है और उसे तार, डाक या किसी अन्य साधन द्वारा भेजता है।

"समाचार-पत्र फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है जो सार्वजनिक हित की घटनाओं के समाचार चित्रों के माध्यम से एकत्र करता है।

"कलाकार" वह व्यक्ति है, जो प्रकाशन के लिए ड्राइंग, ले-आउट, नक्शे, ग्राफ या इसी प्रकार के अन्य आलेखन, रचनात्मक कला या किसी किस्म के सचित्र दृष्टान्त तैयार करता है। वह इनमें से कुछ कार्य या सभी कार्य कर सकता है।

"सुलेखकार" वह कलाकार है, जो पत्रकारिता सम्बन्धी कार्य करता है और विषयों का सुलेखन भी करता है।

"पुस्तकाध्यक्ष" या "इण्डेक्स सहायक" वह व्यक्ति है, जो समाचारों और विचारों से सम्बन्धित रिक्वाइरे तैयार करता है और उसका अनुसंधान करता है, जिनका प्रयोग प्रचलित कहानियों के लिए पृष्ठभूमि या फिल्म ड्राऊट के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यक्ति, जो इन कार्यों में से किसी भी कार्य को नहीं करते हैं, इसकी परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आएंगे।

"मुख्य प्रूफ रीडर" वह व्यक्ति है, जो एक या अधिक प्रूफ रीडरों के कार्य का आवंटन और पर्यवेक्षण करता है तथा पारी का प्रभारी होता है।

शृप-4

"प्रूफ रीडर" वह व्यक्ति है, जो सम्पादक की प्रति के साथ प्रूफ की मुद्रित सामग्री की जाँच करता है ताकि मुद्रित सामग्री की सम्पादक की प्रति के साथ पूरी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। वह वास्तविक त्रुटियों, वर्तनी की त्रुटियों, व्याकरण और वाक्य विन्यास की त्रुटियों निकाल सकता है और वह उन्हें ठीक कर सकता है या ठीक करवा सकता है।

तालिका-1

असजीबी पत्रकार

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
1बी	1	कोई वेतनमान नहीं ।	
(25 करोड़ रुपये और उससे अधिक)	1ए	1800-150-2400-175-2925-200-3525 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1550-120-2030-140-2590-160-3070 रुपये (4) (4) (3)	11
	2	1400-90-1760-100-2160-130-2550-150-2850 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	1100-75-1475-90-1925-100-2225-135-2630 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	1000-65-1325-75-1700-90-2060-105-2480 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	800-40-1000-45-1225-55-1445-65-1705 रु० (5) (5) (4) (4)	18
1ए	1	कोई वेतनमान नहीं ।	
(10 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 25 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1700-140-2260-165-2755-185-3310 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1450-110-1890-135-2430-155-2895 रु० (4) (4) (3)	11
	2	1350-85-1690-90-2050-125-2425-145-2715 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	1050-70-1400-85-1825-95-2110-130-2500 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	950-60-1250-70-1600-85-1940-100-2340 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	750-35-925-40-1125-50-1325-60-1565 रु० (5) (5) (4) (4)	18
I	1	कोई वेतनमान नहीं ।	
(4 करोड़ रुपये और उससे अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1600-125-2100-150-2250-180-3090 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1350-100-1750-125-2250-150-2700 रु० (4) (4) (3)	11
	2	1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	930-60-1230-80-1630-90-1930-125-2275 रु० (5) (5) (3) (3)	1
	3	900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	700-30-850-35-1025-45-1205-55-1425 रु० (5) (5) (4) (4)	13

तालिका-1

धनजीवी पत्रकार

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का गृप	वेतनमान	वर्ष
II	1	2,700 रुपये से कम	
(2 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 4 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1400-100-1800-125-2175-150-2625 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1335-95-1715-120-2195-140-2615 रु० (4) (4) (3)	11
	2	1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	900-55-1175-75-1550-85-1895-120-2165 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	650-30-800-35-975-45-1155-50-1355 रु० (5) (5) (4) (4)	18
III	1	2,400 रुपये से कम	
(एक करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम)	1ए	1250-90-1610-100-1910-125-2285 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1200-70-1480-80-1800-100-2100 रु० (4) (4) (3)	11
	2	1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	600-25-725-30-875-35-1015-40-1175 रु० (5) (5) (4) (4)	18
IV	1	2,200 रुपये से कम	
(50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम)	1ए	1100-80-1420-90-1690-110-2020 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1050-50-1250-60-1490-70-1700 रु० (4) (4) (3)	11
	2	900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	550-25-675-30-825-35-965-40-1125 रु० (5) (5) (4) (4)	18

तालिका-1 अ

असजीबी पत्रकार

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का श्रेण	घनत्वमान	वर्ष
V.	1	1,500 रुपये से कम	
(25 लाख रुपये और उससे अधिक लेखन 50 लाख रुपये से कम)	1वीं	900-45 1080-50 1280 55 1445 रु० (4) (4) (3)	11
	2	825-10 985-45 1165 50 1415 55 1425 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	3	540-25-665-35 815-35 955-40 1115 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	500-20-600 25 725-30 845 35 935 रु० (5) (5) (4) (4)	18
VI.	1	1,300 रुपये से कम	
(10 लाख रुपये और उससे अधिक लेखन 25 लाख रुपये से कम)	1वीं	700 40-860 45 1040-50 1190 रु० (4) (4) (3)	11
	2	625-35-765-40 925-45 1060 50 1160 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	3	475-20-575-25 700-30 820-35 960 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	450-20-550 25 675-30 795-35 935 रु० (5) (5) (4) (4)	18
VII	1	1,150 रुपये से कम	
(दस लाख रुपये से कम)	1वीं	650-35-790-40 950-45 1085 रु० (4) (4) (3)	11
	2	540-30-660-35 800 40 920 45 1010 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	3	425-20-525-25 650 30 770-35 910 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	4	400-15-475-20 575-25 675-30 795 रु० (5) (5) (4) (4)	18

तालिका-II

महंगाई देने की दरें

मूल वेतन स्तर	प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को 1960=100 के सूचकांक से 6 अ.हस्त की प्रत्येक इकाई के लिए दी जाने वाली राशि
(1)	(2)
300 रुपये तक	5.00 रुपये
301 से 350 रुपये तक	5.25 ..
351 से 400 रुपये तक	5.50 ..

1	2
401 से 450 रुपये तक	6.00 रुपये
451 से 500 रुपये तक	6.50 "
501 से 550 रुपये तक	7.00 "
551 से 700 रुपये तक	8.00 "
701 से 1000 रुपये तक	9.00 "
1001 से 1150 रुपये तक	9.50 "
1151 से 1300 रुपये तक	10.00 "
1301 से 1600 रुपये तक	11.00 "
1601 रुपये और उससे अधिक	11.00 "

तालिका-III

मकान किराया भत्ता की दरें

अंश	वेतन	श्रेणी-III	श्रेणी-IV	श्रेणी-I	श्रेणी-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"ग"	4				
(पैसे नगर/ग्राम जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 20 लाख या इससे अधिक है) ।	300 रु० से 1600 रु० तक 1601 रु० और इससे अधिक	वेतन का 8% (अधिकतम 128 रु०)	वेतन का 7% (अधिकतम 112 रु०)	वेतन का 6% (अधिकतम 96 रु०)	वेतन का 5% (अधिकतम 80 रु०)
"बी"					
(पैसे नगर/ग्राम जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम है) ।	300 रु० से 1600 रु० तक 1601 रु० और इससे अधिक	वेतन का 7% (अधिकतम 112 रु०)	वेतन का 6% (अधिकतम 96 रु०)	वेतन का 5% (अधिकतम 80 रु०)	वेतन का 4% (अधिकतम 64 रु०)
"सी"					
(पैसे नगर/ग्राम जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है) ।	300 रु० से 1600 रु० तक 1601 रु० और इससे अधिक	वेतन का 6% (अधिकतम 96 रु०)	वेतन का 5% (अधिकतम 80 रु०)	वेतन का 4% (अधिकतम 64 रु०)	वेतन का 3% (अधिकतम 48 रु०)

तालिका-IV

राशि पारी भत्ते की दरें

राशि पारी भत्ता इस प्रकार दिया जाएगा :—

समाचारपत्र प्रतिष्ठान

श्रेणी I—बी और I—ग	1 रुपये प्रति रात
श्रेणी I और II	3 रुपये प्रति रात
श्रेणी III और VI	2 रुपये प्रति रात

अध्याय-VI

सिफारिशें

भाग-1

प्रारंभिक

1. परिभाषा

"असजीवी पत्रकार" और "नैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी" शब्दों का यही अर्थ होगा जो असजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (मेता की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955, जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है, में दिया गया है ।

समाचार एजेंसी एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो समाचार एजेंसी का कार्य करता है और इसमें चार भारतीय समाचार एजेंसियों अर्थात् (1) वि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया, (2) वि यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया, (3) हिन्दुस्तान समाचार, और (4) समाचार भारती शामिल होंगी।

“लेखा वर्ष” से अभिप्राय किसी समाचार एजेंसी के संगत वित्तीय वर्ष से होगा।

“वर्ग” से अभिप्राय पैरा 7 और 8 में निर्दिष्ट ग्रुपों के अन्तर्गत उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से है।

किसी समाचार एजेंसी की “सकल आय” से अभिप्राय उसकी सभी स्रोतों से कुल आय है जिनमें इसकी सेवाओं के विप्रेषण से प्राप्त शुल्क की आय शामिल है।

भाग II

2. समाचार एजेंसियों के पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों की मजदूरी निर्धारित करने के लिए समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से किया जाएगा।

3. समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण 14 अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि में उन द्वारा प्राप्त सकल आय के आधार पर एक वर्ग के लिए गणना की गई औसत सकल आय पर आधारित होगा।

4. ऊपर पैराग्राफ 3 के अनुसार निर्धारित श्रेणीकरण उस समय तक रहेगा जब तक कि पैराग्राफ 6 के उपबन्धों के अनुसार समाचार एजेंसी का पुनर्वर्गीकरण नहीं हो जाता।

5. समाचार एजेंसियों को उनकी सकल आय के आधार पर निम्न-लिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:—

श्रेणी	सकल आय
I	दो करोड़ रुपये और उससे अधिक।
II	एक करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन दो करोड़ रुपये से कम।
III	50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम।
IV	50 लाख रुपये से कम।

नोट:—विदेशी समाचार एजेंसियों अर्थात् ऐसी एजेंसियों को जो भारत में कार्य कर रही हैं और जिनके प्रधान कार्यालय भारत के बाहर हैं, श्रेणी I समाचार एजेंसियां माना जाएगा।

6. नियोजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छूट है कि वह लेखा वर्ष 1982 के पश्चात् किसी भी समय पिछले तीन वर्षों की औसत सकल आय के आधार पर समाचार एजेंसियों के पुनर्वर्गीकरण की मांग कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे वर्गीकरण की मांग तीन लगातार लेखा वर्षों की किसी अवधि में एक से अधिक बार नहीं की जानी चाहिए।

भाग-III

7. पत्रकार कर्मचारियों की पूर्णियां

1. पूर्णकालिक कर्मचारी

ग्रुप I : मुख्य संपादक उप मुख्य संपादक।

ग्रुप J—ए प्रभागीय ब्यूरो का प्रमुख सम्पादक तथा अन्य समकक्ष पद।

ग्रुप I—बी विशेष संवाददाता, विदेशी संवाददाता, समाचार सम्पादक, रीपोर्टर, राज्य ब्यूरो का प्रमुख।

ग्रुप 2 : मुख्य उप-सम्पादक, वरिष्ठ संवाददाता।

ग्रुप 2—ए : वरिष्ठ उप-सम्पादक, वरिष्ठ रीपोर्टर।

ग्रुप 3 : उप-सम्पादक, संवाददाता, रीपोर्टर।

(परिभाषा के लिए इससे संलग्न अनुसूची देखें)।

II अंशकालिक कर्मचारी

ये ऐसे अंशकालिक संवाददाता हैं जिनका प्रधान व्यवसाय पत्रकारिता है।

8. गैर-पत्रकार कर्मचारियों की पूर्णियां

ग्रुप 1 : (क) प्रशासन का प्रमुख, वित्तीय नियंत्रक-एवं-सैचैटरी।

(ख) चीफ इंजीनियर, लेखा प्रबन्धक, प्रबन्ध (कार्मिक), प्रबन्धक (वर्धन एवं विकास)।

(ग) उप मुख्य इंजीनियर, आन्तरिक लेखा परीक्षक और समकक्ष प्रशासनिक पद।

ग्रुप 2 : क्षेत्रीय इंजीनियर, क्षेत्रीय ट्रान्मिशन प्रभारी, लेखा अधिकारी, प्रशासन अधिकारी और समकक्ष पद।

ग्रुप 3 : ट्रांसमिशन पर्यवेक्षक, इंजीनियर, पुस्तकाध्यक्ष, केयर टेकर और अन्य समकक्ष पद।

ग्रुप 4 : सीनियर आपरेटर, वरिष्ठ तकनीशियन, सहायक आगुनिपिक।

ग्रुप 5 : लिपिक, टाइपिस्ट, कनिष्ठ तकनीशियन, जूनियर आपरेटर, कुशल कामगार, कार चालक, टेलीफोन आपरेटर।

ग्रुप 6 : परिचालक, हवलदार, अभिलेखपाल, गेस्टेटर आपरेटर।

ग्रुप 7 : चपरासी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली।

नोट:—यद्यपि उपर्युक्त सात ग्रुपों में कर्मचारियों के कई वर्गों का उल्लेख किया गया है तो भी मजदूरी निर्धारण और संशोधन सम्बन्धी सिफारिशें केवल ऐसे कर्मचारियों को ही लागू होंगी जो अधिनियम के अर्धतः “गैर-पत्रकार समाचार कर्मचारी” की परिभाषा के अन्तर्गत आएंगे।

9. किसी समाचार एजेंसी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह उपर्युक्त ग्रुपों में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग या सभी वर्गों के कर्मचारियों को नियोजित करे। कुछ वर्गों के कार्य को मिलाया जा सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी को उस उच्च वर्ग का समझा जाएगा, जिसके कार्य आमतौर पर उसके द्वारा किए जाते हैं। अन्य मामलों में, किसी कर्मचारी द्वारा की जाने वाली मुख्य श्रुतियों से कर्मचारी के वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा वर्गीकरण करते समय पद या अनियमित या नैमित्तिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि कोई समाचार एजेंसी ने पैरा 7 और 8 में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग का उच्चतर ग्रुप में रखा है, तो वह वर्ग उच्चतर ग्रुप में बना रहेगा।

भाग-IV

पारिश्रमिक :

10. विभिन्न श्रेणियों की समाचारपत्र एजेंसियों में नियोजित विभिन्न ग्रुपों के अग्रणी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों को इससे संलग्न तालिका-1 में दिए गए वेतनमानों के अनुसार प्रतिमाह मूल वेतन दिया जाना चाहिए।

मंठगाई भत्ता :

11. वर्तमान निर्धारित मंठगाई भत्ते, पत्रिती मंठगाई भत्ते और मूल मजदूरी को, जिसमें सरकार के आदेश तारीख 1-4-1977 द्वारा दी गई अंतरिम गहायता शामिल है, अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक 425 (1949=100) के साथ, जो 1-1-1980 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता देने का आधार है, जोड़ दिया गया है। संशोधित वेतनमानों और मंहगाई भत्ते के लागू होने की संगत तारीख 1-10-1980 है। नया परिवर्ती मंहगाई भत्ता पुराने भत्ते के स्थान पर इस तारीख से दिया जाएगा। तथापि, नए परिवर्ती मंहगाई भत्ते की गणना करते समय 1949=100 आधार की पुरानी सीरीज को छोड़ दिया जाएगा और 1960=100 आधार की सीरीज को अपनाया जाएगा नए परिवर्ती मंहगाई भत्ते में 1960=100 सीरीज के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 प्वाइंटों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा। इसमें 6 प्वाइंटों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 5 रुपये की दर से पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को अर्धवार्षिक आधार पर संशोधन किया जाएगा। मंहगाई भत्ते में मजदूरी स्लेबों के साथ भी परिवर्तन किया जाएगा। जैसा कि सिफारिशों के साथ संलग्न तालिका II में दिखाया गया है।

12. प्रत्येक अंशकालिक संवाददाता को वैसे ही स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता को मिलने वाली मूल मजदूरी (मूल वेतन-मंहगाई भत्ता) का 1/3 से कम नहीं दिया जाएगा। कोई समाचार एजेंसी अंशकालिक संवाददाता पर किसी प्रकार की कोई ऐसी रोक नहीं लगाएगा कि वह किसी अन्य समाचार एजेंसी के लिए काम नहीं करेगा, जब तक कि वह पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं हो जाता।

भाग—V

अन्य भत्ते :

13. (क) मकान किराया भत्ता :

इसके साथ संलग्न तालिका III में निर्दिष्ट मकान किराया भत्ता भी उसमें उल्लिखित समाचार एजेंसियों द्वारा संबंधित जोनों में तैनात अपने कर्मचारियों को दिया जाएगा। बशर्त कि :—

- (1) जहां किसी कर्मचारी को किसी समाचार एजेंसी द्वारा रिहायशी आवास दिया गया है वहां कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
- (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, तो उसका समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय मकान किराया भत्ते की राशि में किया जाएगा।
- (3) यदि कोई समाचार एजेंसी किसी निधि में किसी कर्मचारी को और से कोई राशि जमा करना है ताकि कर्मचारी अपना रिहायशी आवास बना सके, तो ऐसी राशि का समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय मकान किराया भत्ते में किया जाएगा।

13(ख) रात्रि पारी भत्ता :

इसके साथ संलग्न तालिका IV में निर्दिष्ट समाचार एजेंसियों द्वारा उक्त तालिका में दर्शाई गई दरों पर अपने कर्मचारियों को रात्रि पारी भत्ता दिया जाएगा, बशर्त कि यदि किसी कर्मचारी को रात्रि पारी भत्ता नगद या जिन्य या दोनों रूप में पहले से मिलता है, उसका या उसके मूल्य की राशि का समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय राशि में किया जाएगा।

भाग—VI

14. फिटमेंट नियम :

- (1) फिटमेंट नियमों के प्रयोजन के लिए “कर्मचारी” से समाचार एजेंसी के दोनों “अग्रणीय पत्रकार” और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी अभिप्रेत हैं।
- (2) किसी कर्मचारी की “वर्तमान परिलब्धियों” से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 425 (आधार 1949=100), पर उनका मूल वेतन, निर्धारित मंहगाई भत्ता, परिवर्ती मंहगाई भत्ता तथा फनदार और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के बीच

में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधि-सूचना तारीख, पहली अप्रैल, 1977 के अनुसरण में दी गई अंतरिम सहायता (तदर्थ भुगतान द्वारा) जो वैयक्तिक रूप से लागू है, अभिप्रेत होगी।

- (3) किसी कर्मचारी की “अतिरिक्त परिलब्धियों” से वर्तमान परिलब्धियों के अलावा ऐसी परिलब्धियां अभिप्रेत हैं, जिनका उल्लेख नियम (2) में किया गया है, जो मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ते या अंतरिम सहायता में वृद्धि के रूप में समाचार एजेंसियों द्वारा मामूलीक सोदाकारी समझोते या पंचाट के फलस्वरूप दी गई है।
- (4) “संशोधित वेतनमान” से अभिप्रेत इन सिफारिशों के अनुसार किसी कर्मचारी को लागू वेतनमान होगा।
- (5) संशोधित वेतनमान और मंहगाई भत्ता पहली अक्टूबर, 1980 से लागू होगा। इन तारीखों को इसके पश्चात् “संगत तारीख” के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक कर्मचारी को उसकी “वर्तमान परिलब्धियों” के साथ संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में लिया जाएगा और उपयुक्त स्टेज पर उस वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा, जो स्थिति के अनुसार या तो नए वेतनमान के प्रारंभिक न्यूनतम पर या प्रारंभिक न्यूनतम से अधिक पर होगा।
- (7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है, परन्तु संशोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं है, तो उसके वेतन को उससे अगले स्तर पर अधिक किया जाएगा।
- (8) (1) किसी भी कर्मचारी को फिटमेंट के परिणामस्वरूप संशोधित वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं मिलेगा (2) किसी भी सूरत में फिटमेंट या इन सिफारिशों में निर्दिष्ट उपबन्धों के लागू होने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिलब्धियों की कुल राशि को कम नहीं किया जाएगा, शेष राशि, यदि कोई हो, को वैयक्तिक वेतन समझा जाएगा जिसे भावी वेतन वृद्धियों में खपा लिया जाएगा।
- (9) इन सिफारिशों का उन शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन पर नियम (3) में निर्दिष्ट “अतिरिक्त परिलब्धियां” दी गई हैं।
- (10) इन सिफारिशों को लागू करते संबंधी सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के छः माह के भीतर, प्रत्येक कर्मचारी या तो अपने वर्तमान वेतनमान और “वर्तमान परिलब्धियों” को रखने या संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में जाने के लिए अपना विकल्प देगा।
- (11) पिछले मजदूरी वोट के अनुसार “वर्तमान परिलब्धियां” और परिवर्ती मंहगाई भत्ता उस समय तक दिया जाना रहेगा जब तक कर्मचारी नियम (10) के अधीन अपना विकल्प नहीं देता।
- (12) जब किसी समाचार एजेंसी को उपयुक्त पैरा 6 के अंतर्गत पुनः बर्गीकृत किया जाता है, तब कर्मचारी को उस श्रेणी के उपयुक्त संशोधित वेतनमान में फिट किया जाएगा। यदि मूल वेतन उस श्रेणी के संशोधित वेतनमान की स्टेज से मेल नहीं खाता, तो बर्गीकरण के बढ़ जाने पर कर्मचारी का वेतन अगली उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा और बर्गीकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का वेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल वेतन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्तमान मूल वेतन तथा उसके नए वेतन के बीच के अंतर को वैयक्तिक वेतन के रूप में समझा जाएगा या उसे भविष्य की वेतन वृद्धियों में खपा दिया जाएगा।

(13) तब किसी कर्मचारी को, सगन तारीख को, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है, तब वह उस तारीख से सम्बन्धित वेतनमान में वेतन वृद्धि का हकदार होगा।

15. समाचार एजेंसी द्वारा शिक्षु के रूप प्रशिक्षित किए जा रहे व्यक्ति को शिक्षुता अवधि के दौरान उस पद के मूल वेतन और भत्तों का 60 प्रतिशत वजीफा मिलेगा जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

16. किसी समाचार एजेंसी को लागू स्थायी आदेशों के अधीन, किसी समाचार एजेंसी पत्रकार या गैर-पत्रकार कर्मचारी को एक वर्ष में अनधिक अवधि के लिए परीक्षार्थी के रूप में नियोजित किया जाएगा। इस परीक्षाधीन अवधि के दौरान उसे उस प्रतिष्ठान की श्रेणी और श्रृंखला में वह परीक्षार्थी है, को लागू वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा तथा उसे उस पद के लिए श्राव्य भत्ते भी दिए जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी, पत्रकार या गैर-पत्रकार, उच्च पद में परीक्षाधीन के रूप में कार्य करता है, तो उसे परीक्षाधीन अवधि के दौरान निचले पद के अपने वेतन के अनतिरिक्त उच्च पद के न्यूनतम वेतन का 10 प्रतिशत मिलेगा।

17. लागू होने की तारीख

(1) संशोधित वेतनमानों और संग्रहीत भत्ते के संबंध में सिफारिशें पैरा 14(5) में निश्चित तारीख से प्रभावी होंगी।

(2) शेष सिफारिशों केन्द्र सरकार के उस आदेश की तारीख से लागू होंगी तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए प्राग-12 के अधीन जारी किया जाएगा।

18. बकाया राशियों का भुगतान

इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप देय बकाया राशियों, यदि कोई हों, का भुगतान दो किस्मों में अधिक किस्मों में नहीं किया जाना चाहिए। यह भुगतान अधिनियम की धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश के प्रकाशन की तारीख से नौ मास के भीतर किया जाना चाहिए।

अनुसूची

(पैरा-7)

1. "मुख्य सम्पादक" वह व्यक्ति है जो किसी समाचार एजेंसी का समय रूप से प्रभावी होता है।
2. "उप-मुख्य सम्पादक" वह व्यक्ति है जो मुख्य सम्पादक की उसकी कार्य निष्पादन में सहायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है।
3. "प्रभागीय व्यूरे का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो सम्पूर्ण समाचार एजेंसी के केन्द्रीय समाचार डैस्क का प्रभावी होता है और जो महानगरीय केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में समाचार सेवाओं का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और निर्वहन करता है।
4. "सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार एजेंसी की सम्पादकीय माहड को निर्देश देता है और उसके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

5. "विशेष संवाददाता" वह व्यक्ति है जो केन्द्र सरकार का प्रत्यागित संवाददाता है और जिसके नियमित कार्य संसदीय, राजनीतिक या सामान्य महत्व के समाचारों को भेजना है या महानगरीय केन्द्र में स्थित वह व्यक्ति है जो आर्थिक महत्व या राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय स्वरूप के समाचारों को एकत्र करने में विशेष योग्यता रखता है।

6. "विदेशी संवाददाता" वह व्यक्ति है जो किसी देश या उसके किसी भाग से, जो उसे सौंपा गया है, समाचार भेजने के लिए विदेश में रहता है।

7. "समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो किसी समाचार डैस्क या किसी महानगरीय केन्द्र में क्षेत्रीय समाचार का प्रभावी है और जो विभिन्न समाचार सेवाओं का पर्यवेक्षण, निर्वहन और मार्गदर्शन करता है।

8. "राज्य व्यूरे का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो किसी राज्य की राजधानी में सभी प्रकार के समाचारों को एकत्र करने के निर्देश देता है और उनका मार्गदर्शन करता है।

9. "चीफ रिपोर्टर" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित वह व्यक्ति है जो उस केन्द्र के सभी रिपोर्टरों का प्रभावी है और वैधानिक, राजनीतिक या सामान्य महत्व के सभी समाचारों की सूचना देता है।

10. "वरिष्ठ संवाददाता" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित ऐसा व्यक्ति है जिसका नियमित कार्य संसदीय, राजनीतिक या सामान्य महत्व के समाचारों को सूचित करना है या ऐसा व्यक्ति है जिसे आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व, न्यायालयों तथा राष्ट्रीय खेलकुद के समाचारों को भेजने का कार्य नियमित रूप से सौंपा गया है।

11. "मुख्य उप-सम्पादक" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित ऐसा व्यक्ति है जो सम्पादकीय डैस्क का किसी पारी में नियमित रूप से प्रभावी होता है, उप-सम्पादकों को कार्य सौंपता है और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

12. "वरिष्ठ उप-सम्पादक" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित ऐसा व्यक्ति है जिसे सम्पादकीय डैस्क की मुख्य पारियों के अनतिरिक्त किसी पारी में नियमित रूप से प्रभावी होता है या जिसके नियमित कार्यों में विशेष ग्राहकों के लिए समाचार भेजने की तैयारी करने का कार्य भी शामिल है।

13. "वरिष्ठ रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जिनके नियमित कार्य में राज्य सरकार के समाचार या राज्य विधान सभा की कार्यवाही की सूचना देना शामिल है।

14. "उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सभी प्रकार के समाचारों को प्राप्त करता है, चयन करता है, संक्षिप्त करता है, सुपरिष्कृत करता है, अनुवाद करता है, सम्पादित करता है और शीघ्रता देता है तथा इन सभी कार्यों में से कुछ कार्य या सभी कार्य करता है।

15. "रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट केन्द्र पर सूचना एकत्र करता है और देता है।

16. "संवाददाता" वह व्यक्ति है जो किसी केन्द्र से समाचार प्राप्त करता है और तार, डाक या किसी अन्य साधन से उन्हें भेजता है।

तालिका 1

श्रमजीवी पत्रकार

श्रेणी	ग्रुप	वैतनमान	वर्ष
I			
(2 करोड़ रुपये और उससे अधिक)	1	कोई वैतनमान नहीं	
	1ए	1600-125-2100-150-2550-180-3090 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1350-100-1750-125-2250-150-2700 रु० (4) (4) (3)	11
	2	1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	II		
	1	2700 रु० प्रतिमाह से कम नहीं	
	1ए	1400-100-1800-125-2175-150-2625 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1335-95-1715-120-2185-140-2615 रु० (4) (4) (3)	11
	2	1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 रु० (5) (5) (4) (4)	18
III			
(50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम)	1	2400 रु० प्रतिमाह से कम नहीं	
	1ए	1250-90-1610-100-1910-125-2285 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1200-70-1480-80-1800-100-2100 रु० (4) (4) (3)	11
	2	1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	IV		
	1	2200 रु० प्रतिमाह से कम नहीं	
	1ए	1100-80-1420-90-1690-110-2020 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1050-50-1250-60-1490-70-1700 रु० (4) (4) (3)	11
	2	900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 रु० (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 रु० (5) (5) (3) (3)	16
	3	615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 रु० (5) (5) (4) (4)	18

तालिका 1

गैर-पत्रकार

श्रेणी	ग्रुप	बेतनमान	वर्ष
I	1	कोई बेतनमान नहीं	
(2 करोड़ रुपये और उससे अधिक)	2	1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	4	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	610-23-702-25-802-27-910-30-1030 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	555-12-615-13-680-14-736-15-796 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	500-11-555-12-615-13-667-14-723 रु० (5) (5) (4) (4)	18
II	1	कोई बेतनमान नहीं	
(1 करोड़ रुपये और उससे अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम)	2	840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	4	685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	590-21-674-23-766-25-866-27-974 रु० (4) (4) (4) (4)	18
	6	530-11-585-12-645-13-697-14-753 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	475-10-525-11-580-12-628-13-680 रु० (5) (5) (4) (4)	18
III	1	कोई बेतनमान नहीं	
(50 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम)	2	770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	4	665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	555-19-631-21-715-23-807-25-907 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	500-10-550-11-605-12-653-13-705 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	450-9-495-10-545-11-589-12-637 रु० (5) (5) (4) (4)	18

1	2	3	4
IV	1	कोई वेतनमान नहीं	
(50 लाख रुपये से कम)	2	700-30-820-35-960-45-1095-50-1215 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	3	675-30-795-35-935-40-1055-45-1190 रु० (4) (4) (3) (3)	14
	4	600-25-700-30-820-35-960-40-1120 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	5	505-17-573-19-649-21-733-23-825 रु० (4) (4) (4) (4)	16
	6	465-9-510-10-560-11-604-12-652 रु० (5) (5) (4) (4)	18
	7	425-8-465-9-510-10-550-11-594 रु० (5) (5) (4) (4)	18

तालिका--II

मंजूर वेतन की दरें

मूल्य वेतन स्लैब	प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को 363 (1960=100) के सूचकांक से 6 प्वाइंटों की प्रत्येक वृद्धि के लिए दी जाने वाली राशि ।
300 रुपये तक	5.00 रुपये
301 से 350 रुपये तक	5.25 „
351 से 400 रुपये तक	5.50 „
401 से 450 रुपये तक	6.00 „
451 से 500 रुपये तक	6.50 „
501 से 560 रुपये तक	7.00 „
561 से 700 रुपये तक	8.00 „
701 से 1000 रुपये तक	9.00 „
1001 से 1150 रुपये तक	9.50 „
1151 से 1300 रुपये तक	10.00 „
1301 से 1600 रुपये तक	11.00 „
1601 और उससे अधिक रुपये	11.00 „

तालिका--III

मकान किराया भत्ता की दरें

जोन	वेतनमान रु०	श्रेणी-I	श्रेणी-II
"ए"	300 रु० से 1600 रु० तक	वेतन का 6%	वेतन का 5%
(ऐसे नगर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 20 लाख या इससे अधिक है ।)	1601 रु० और इससे अधिक	(अधिकतम 96 रु०) 96 रु०	(अधिकतम 80 रु०) 80 रु०

जोन	वेतनमान रु०	श्रेणी-I	श्रेणी-II
"की"	300 रु० से 1600 रु० तक (ऐसे नगर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या इससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है) ।	वेतन का 5% (अधिकतम 80 रु०) 80 रु०	वेतन का 4% (अधिकतम 64 रु०) 64 रु०
"सी"	300 रु० से 1600 रु० तक (ऐसे नगर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है) ।	वेतन का 4% (अधिकतम 64 रु०) 64 रु०	वेतन का 3% (अधिकतम 48 रु०) 48 रु०

तालिका --IV

राशि पारी भत्ते की दरें

राशि पारी भत्ता इस प्रकार दिया जाएगा :—

समाचार एजेंसी

श्रेणी I और II	3 रुपये प्रति रात
श्रेणी III	2 रुपये प्रति रात

MINISTRY OF LABOUR
ORDER

New Delhi, the 26th December, 1980

S.O. 984(E).—Whereas for the purpose of enabling the Central Government to fix or revise rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and working journalists, two Wage Boards were constituted under section 13C and section 9 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) on the 11th June, 1975 and the 6th February, 1976 by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S.O. 1958 and 809, dated the 11th June, 1975 and the 6th February, 1976, respectively ;

And whereas, the said two Wage Boards could not function effectively ;

And whereas, the said two Wage Boards were replaced by the Tribunals for Non-Journalist Newspaper Employees and Working Journalists by the Central Government in exercise of powers conferred on it by sub-section (1) of section 13DD read with sub-section (1) of section 13AA of the said Act by notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S.O. 81(E) and S.O. 82(E), both dated the 9th February, 1979 ;

And whereas, the aforesaid Tribunals submitted their recommendations to the Central Government on the 13th August, 1980 ;

And whereas, the Central Government proposes to examine paragraphs 18 of Chapter II and Chapter IV and paragraph 11 of Chapter VI of the said recommendations and until such examination is complete and orders are issued separately in that behalf, the newspaper establishments shall continue to pay dearness allowance at the rates applicable immediately before the date of issue of this Order ;

And whereas, the Central Government has accepted the other recommendations of the said Tribunals contained in Chapters II, IV and VI of the recommendations appended in Schedule to this Order, subject to the modifications hereinafter specified, being modifications which in the opinion of the Central Government, do not effect important alternations in the character of the other recommendations ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provi-

sions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government hereby orders that —

(a) for sub-paragraph (9) of paragraph 20 of Chapter II, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(9) These recommendations will not affect the terms and conditions on which additional emoluments and additional allowances referred to in rule 3(a) and 3(b) were granted."

(b) for sub-paragraph (13) of paragraph 20 of Chapter II, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules he shall be entitled to count increment in the appropriate scale on the same date on which he was entitled to it immediately before this Order."

(c) for sub-paragraph (9) of paragraph 21 of Chapter IV, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

(9) These recommendations will not affect the terms and conditions on which additional emoluments and additional allowances referred to in rule 3(a) and 3(b) were granted."

(d) for sub-paragraph (13) of paragraph 21 of Chapter IV, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules he shall be entitled to count increment on the same date on which he was entitled to it immediately before this Order."

(e) the establishments in all classes of news agencies which are at present paying house rent allowance shall continue to pay the same.

(f) the recommendations will not affect the quantum of house rent allowance if the same is higher than that admissible in terms of the recommendations in respect of the employees of the news agencies.

SCHEDULE

Recommendations contained in Chapters II, IV and VI.

[No. V-24040/6/80-WB]

R. K. A. SUBRAHMANYA, Addl. Secy.

CHAPTER--II

SECTION--II

RECOMMENDATIONS

SECTION--I

Preliminary

1. Definitions

The expressions 'Newspaper Establishment', 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee', shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and Other Newspaper Employees, (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'. For the purpose of the recommendations in this Part, 'Newspaper Establishment' shall not include a News Agency.

'Accounting Year' used with reference to a particular year, shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is a calendar year, mean that calendar year and shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is different from the calendar year, mean that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year.

Example.—If the accounting year of a newspaper establishment starts from April 1st, reference to the accounting year 1977 in the succeeding paragraphs shall be construed as reference to the accounting year 1977-78 of such establishment. On the other hand, if the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st October, reference to the accounting year 1977 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1976-77 of that establishment.

In the case of a newspaper establishment where the accounting year starts from 1st July, the accounting year would be the year in which the first six months fall.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in paragraph 14.

'Gross Revenue' of a newspaper establishment means revenue derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation of and advertisements in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made by it out of the funds earned in the newspaper business.

Revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the extent to which the amount of commission allowed is reasonable. Reasonable commission is one which is finally accepted by the Income Tax authorities in the case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income Tax authorities is available, the circulation commission shall be 28% and the advertisement commission shall be 15% of the respective revenues.

Classification of Newspaper Establishments

2. For the purpose of fixation of wages of the Non-Journalist Newspaper Employees, newspaper establishments shall be classified in the manner hereinafter provided.

3. Classification of newspaper establishments should be based on the average gross revenue of 3 accounting years, 1977, 1978 and 1979.

4. In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforesaid 3 accounting years, its classification should be determined on the basis of its average gross revenue for these 2 years.

5. In the case of a newspaper establishment which has completed only one year of the said accounting years, its classification should be determined on the basis of its gross revenue for that year.

6. A new newspaper establishment i.e., a newspaper establishment to which the provisions of paras. 3, 4 and 5 do not, in terms apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.

7. Notwithstanding anything said in paras 4 to 6 above, a newspaper establishment which is classified on the basis of 2 accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than class VII.

8. Where a classified newspaper establishment starts one of its old newspapers from a new centre where it has no other newspaper publication, it shall, so far as the new centre is concerned, be placed for the first 2 accounting years one class below the class in which it would be liable to be placed on the basis of its total gross revenue; and a classified newspaper establishment which starts a new newspaper from a centre where it has no other newspaper publication, shall be similarly liable to be placed in a lower class for 3 accounting years at the new centre. In either case, it shall not be placed lower than class VII, so far as the new centre is concerned.

9. The classification determined in accordance with the provisions of paragraphs 3 to 8 shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 13.

10. If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paragraphs 2 to 9 shall apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenue for those years under the new owner.

11. Newspaper establishments shall be classified under the following 9 classes on the basis of their gross revenue :—

Class	Gross Revenue
IB	Rs. 25 Crores and above.
IA	Rs. 10 Crores and above and less than Rs. 25 Crores.
I	Rs. 4 Crores and above and less than Rs. 10 crores.
II	Rs. 2 Crores and above and less than Rs. 4 Crores.
III	Rs. 1 Crore and above and less than Rs. 2 Crores.
IV	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 Crore.
V	Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs.
VI	Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs.
VII	Less than Rs. 10 lakhs.

12. If the advertisement revenue derived by a newspaper establishment other than one falling in class VII, is less than 40% of its gross revenue reduced by advertisement revenue, it should be placed in the class next below that in which it would fall on the basis of its gross revenue.

Reclassification

13. It shall be open either to the Employer or to the Employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after the accounting year 1982 on the basis of the average gross revenue of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

SECTION—III

14. *Grouping of Non-Journalist Newspaper Employees*

I. *Administrative Staff :*

(a) For Newspaper Establishments other than classes V, VI and VII.

Group 1 : General Manager, Manager and Secretary.

Group 2 : Departmental Managers (those who are in-charge of Circulation, Advertisement Departments, Personnel etc.) Chief Accountant (Accountant), P.R.Os. (classes IB, IA, I and II newspaper establishments).

Group 2A : Liaison Officers, Accounts Officers, Chief Internal Auditor, Assistant Advertisement Managers, Assistant Circulation Managers and Personnel Officers.

Group 3 : Sectional Heads (supervising work of 5 clerks), Business Canvassers, Sales Representatives, Head Clerks, Personal Assistants (Steno-Secretaries), Assistant Accountant, Advertisement Representative.

NOTE : The recommendations in this Part shall not apply to employees other than Non-Journalist Newspaper Employees as defined in the Act though included in the above 4 Groups.

Group 4 : Stenographers, Assistants, Accounts Clerks, Watch and Ward Inspectors, Cashiers, Circulation Inspectors, Advertisement Translators, Senior Clerks, (i.e. those whose work involves special skills). Operators of Accounting machines/Calculating machines and Teleprinters, Field Organisers and those doing audit bureau of circulation, Advertisement Proof Readers, Artists (Commercial & Process).

Group 5 : Junior Clerks (i.e., those doing normal clerical work including acceptance of advertisements and sale of publications, Time Keepers, Typists, Telephone Operators, Addressographers, Receptionists, Franking Machine Operators, Canteen Supervisors, Junior Artists (Commercial and Process)).

Group 6 : Bill Collectors, Daftry or those doing semi-clerical work, Watchmen and Delivery Peons.

Group 7 : Peon, Sweeper, Bearer, Cleaner, Call-boy, Canteen-boy, Water-boy, Mali, Tailor, Orderly, Durwan, Masalchi.

(b) For newspaper establishments classes V, VI and VII.

Group 1 : General Manager, Manager and Secretary.

Group 2 : Departmental Managers (those who are in-charge of Circulation, Advertisement Departments, Personnel etc.), Chief Accountant (Accountant).

Group 3 : Sectional Heads (supervising work of 5 clerks), Business Canvassers, Sales Representatives, Head Clerks, Personal Assistants (steno-secretaries). Assistant Accountant, Advertisement Representative.

Note : The recommendations in this Part shall not apply to employees other than Non-Journalist Newspaper Employees as defined in the Act though included in the above 3 Groups.

Group 4 : Stenographers, Assistants, Accounts Clerks, Watch and Ward Inspectors, Cashiers, Circulation Inspectors, Advertisement Translators, Senior Clerks (i.e., those whose work involves special skills.) Operators of accounting machines/Calculating machines and teleprinters, Field Organisers and those

doing audit bureau of circulation advertisement Proof Readers, Artists (commercial and process).

- Group 5 : Junior Clerks (i.e., those doing normal clerical work including acceptance of advertisements and sale of publications), Time keepers, Typists, Telephone Operators, Addressographers, Receptionists, Franking Machine Operators, Sanitary Inspectors, Canteen Supervisors, Junior Artists (Commercial and Process).
- Group 6 : Bill Collectors, Daftary or those doing semi clerical work, Watchmen and Delivery Peons.
- Group 7 : Peon, Sweeper, Bearer, Cleaner, Call-boy, Canteenboy, Waterboy, Mali, Tailor, Orderly, Darwan, Masalchi.

II. Factory Staff for all Newspaper Establishments

- Group 1 : A & B Grade Supervisor, Air Condition Plant Mechanic, Armature Winder, Chief Press Advertising Assistant, Colour-etcher, Film Impositor, Lino Mechanic, Lino Operator, Microfilm Technician, Microfilm Unit Assistant, Mono-Mechanic, Mono-Operator, Motor Mechanic, offset Machineman, Off-set Mechanic, Off-set Printer, Off-set Retoucher, Photographer (Process) Press Advertising Assistant, Printer (Foreman Composing Supervisor), Reprophotographer, Rotary Mechanic, Senior Paster, Senior Printer, Supervisor, Supervisor (composing weekly job and other sections.), T.T.S Operator, Cameraman (Off-set), Senior Mechanic.
- Group 2 : APL Operator, Assistant Colour Printer Assistant Layout-man, Assistant Foreman, Assistant Printer Block-room Assistant, Block-room Man Camera Operator, Colour Printer, Contact Operator, Conveyor Striket Machineman, Corrector, Deputy Foreman (Guilotine), Engraver, Enlarger Operator, Filing Assistant, Flongman, Graining Machineman, Halftone etcher, Headingman, Imposer, Joiner, Junior Lino Mechanic, Junior Printer, Ludlow Operator, Make-up man, Paceman, Metal Printer, Operator Colour (Highly skilled), Photogravure Machineman, Photo Lettering Machine Operator, Process Assistant, Process Printer Proofing Machineman (off-set), Reelstar Machineman, Rotarymachine Headman, Rotary Machineman (General), Rotary Machineman, Sarang, Sterco Blockman, Stereo Caster, Stereo Castingman, Stereo Casting Head man, Stereo Fireman, Stereo Mouldingman, Stonehand, Junior Mechanic.

Group 3 : Air Condition Plant Cleaner, Assistant Mukadam, Assistant Printing Machineman (all categories), Caster, Carpenter, Charge Hand (Palatia), Chipper or Router, Colour work Proofing Pressman, Copy Holder, Cutter, Cycle Mistry, Dark room Assistant, Driver, El-Rod Operator, Electrician, Fitter Hammerman, Hand Compositor, Hand Pressman, Caster, Machineman (except Rotary Machineman), Machineman (other than printing), Mangleman, Mason, Metal Caster, Mistry, Mono-Caster, Moulder, News Daftary, Off-Inkman, Operator (Black & White), Painter, Plate Maker (Black & White), Plumber, Roller-maker, Rotary Mukadam, Ruling Machineman, Senior Chargehand, Sign writer, Store Mukadam, Turner, Wireman, Welder, Stereoman.

Group 4 : Assistant Machineman, Assistant Fitter, Assistant Welder, Assistant Electrician, Assistant Turner, (all with 5 years service) Blacksmith, Cook, Cutting Machineman, Distributor, Treadleman, Lineetcher.

Group 5 : Baller Mukadam, Barman, Binder, Case Room Cleaner, Colour-work Examiner, Counter, Daftary, Dhobi, Feeder, Fly-boy, Gally Pressman, Havildar, Head-peon, Interlay Cutter, Jamadar, Knife Sharpner, Lead Melter, Liftman, Lino Cleaner, Lock-up man, Mounter, Monocleaner, Numberer, Packer, Paperman, Plate Grinder, Proof Puller, Reel Minder, Rollerman, Semi-skilled Baller, Store-paper counter, Stitcher, Wheeler, (Rotary Cleaner), All other semi skilled attendants, Cleaners, and helpers by whatever name they are called.

Group 6 : Baller, Binding boy, Mazdoor, Reel Loader and Unloader, Trolleyman.

15. The categories mentioned above are those which are generally found in newspaper establishments. Some newspaper establishments have created other categories which are peculiar to the establishments and not generally considered to be essential by other establishments. Where in an establishment any individual category is already fixed in a higher group, it shall not be placed in a lower group.

16. It is not obligatory for a newspaper establishment to employ any or all of the categories mentioned in the groups above. Functions of some categories may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. In other cases, the principal duties performed by an employee should determine the category of the employee, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation.

SECTION IV

*Remuneration*17. *Wages, Scales and Grades*

Non-Journalist Newspaper Employees of different groups employed in different classes of newspaper establishments should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

Dearness Allowance

18. The existing fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance and Basic Wage including interim relief granted by Government by order dated 1-4-1977 are pegged, as the case may be, at the All India Average Consumer Price Index Number 400 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1-1-1979 and at Index Number 425 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1-1-1980. The relevant date for the application of revised scales of pay and Dearness Allowance is 1-10-1979 in the case of employees of Newspaper Establishments placed in classes IB, 1A, I, II and III, and the relevant date for employees of other establishments is 1-10-1980. The new variable Dearness Allowance will be substituted for the old one on these two dates for the respective employees. In calculating a new variable dearness Allowance, however, the old series with base 1949=100 will be discontinued and the series with base 1960=100 will be followed. The new variable Dearness Allowance will vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of the series 1960=100. It will be revised half-yearly on 1st April and 1st October at the rate of Rs. 5 for every variation of 6 points. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in Table II attached to the recommendations.

SECTION V

*Other Allowances*19.(a) *House Rent Allowance*

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that :—

- (1) Where an employee is provided residential accommodation by a Newspaper Establishment, no House Rent Allowance will be payable.
- (2) If an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision.
- (3) Where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

(b) *Night Shift Allowance*

Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table IV attached herewith by newspaper establishments mentioned therein, provided that where an employee is already in receipt of Night Shift Allowance either in cash or kind or both, the same or the money value thereof shall be adjusted against the amount payable under this provision.

SECTION VI

20. *Fitment Rules*

(1) For the purpose of fitment rules an "employee" means a "Non-Journalist Newspaper Employee."

(2) The "Present Emoluments" of an employee shall mean his Basic Pay, Fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index Number 400 and 425 as the case may be, (base 1949=100) and Interim Relief (by way of Adhoc payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Non-Journalist Newspaper Employees.

(3)(a) The "Additional Emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "Present Emoluments" referred to in rule (2) granted by Newspaper Establishments, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in Basic wage, Dearness Allowance or Interim Relief.

(b) The "Additional Allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or Dearness Allowance.

(4) The "Revised Pay Scale" shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.

(5) The revised scales of pay and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1979, in respect of classes IB, 1A, I, II and III. With regard to classes IV, V, VI and VII, the revised scales of pay and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1980. These dates will be referred to hereinafter as the "relevant dates."

(6) Every employee with his "Present Emoluments" will be brought on to the revised pay scale with effect from the relevant date and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.

(7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped up to the immediate next level.

(8) In addition, every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the pay scale prior to the relevant date. The total number of increments shall not be more than two.

Provided that

(i) no employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.

(ii) in no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments.

(9)(a) These recommendations will not affect the terms and conditions on which 'Additional Emoluments' referred to in Rule (3)(a) were granted.

(b) 'Additional Allowances' referred to in Rule (3)(b) shall be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments of the revised pay scales.

(10) Within six months from the date of publication of Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his existing pay scale and "Present Emoluments" or to come on the revised pay scale with effect from the relevant date.

(11) The "Present Emoluments" together with Variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under rule (10).

(12) When a newspaper establishment is reclassified under para 13 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case, the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the

pay to which he is so fitted may be treated as personal pay and it may be absorbed in future increments.

(13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant dates, he should be entitled to count increments in the appropriate scale as from that date.

21. A Non-Journalist Newspaper Employee, during his apprenticeship period shall be paid a stipend of 60 per cent of the Basic pay and Dearness allowance applicable to the post for which he is being trained.

22. Subject to the provisions of the standing orders applicable to a particular newspaper establishment, a Non-Journalist Newspaper Employee may be employed as a probationer for a period not exceeding one year during which, he shall be paid basic pay of not less than the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowances attached to the post. In the case of a Non-Journalist Newspaper employee acting as a probationer in a higher post if he is drawing more than the minimum pay of the higher post, then, he should get 10% of the minimum pay of the higher post in addition to his salary of the lower post during the probationary period.

Date of Operation

23. (1) Recommendations with regard to revised scales of pay and Dearness Allowance shall be operative in respect of the respective newspaper establishment from the relevant dates applicable to it in accordance with Para 20(5).

(2) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.

Payment of Arrears

24. The arrears payable, if any, as a result of retrospective operation provided in para 20(5) should be paid in not more than two instalments, not later than nine months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

TABLE—I

NON JOURNALISTS

ADMINISTRATIVE STAFF

Class of establishment.	Group of employees	SCALES	Years
IB	1	No Scales.	
(Rs. 25 crores and above)	2	Rs. 1140-50-1340-75-1640-90-1910-110-2240 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 990-45-1170-60-1410-70-1620-85-1875 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 810-40-970-45-1150-50-1350-55-1570 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 (4) (4) (4) (4)	16

TABLE—1—contd.

NON JOURNALISTS—con'd.

ADMINISTRATIVE STAFF—contd.

Class of establishment.	Group of employees	SCALES	Years
IA (Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores)	5	Rs. 670-27-778-30-898-33-1030-35-1170 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 610-14-680-15-755-16-819-17-887 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 550-13-615-14-685-15-745-16-809 (5) (5) (4) (4)	18
	1	No Scale.	
	2	Rs. 1090-50-1290-70-1570-85-1825-100-2125 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 940-45-1120-55-1340-65-1535-80-1775 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 (4) (4) (4) (4)	16
I (Rs. 4 crores and above and less than Rs. 10 crores).	4	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 640-25-740-27-848-30-968-33-1100 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 580-13-645-14-715-15-775-16-839 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 525-12-585-13-650-14-706-15-766 (5) (5) (4) (4)	18
	1	No Scale.	
	2	Rs. 1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 (4) (4) (3) (3)	14
II (Rs. 2 crores and above and less than Rs. 4 crores).	3	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 700-30-820-35-960-50-1160-55-1380 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 610-23-702-25-802-27-910-30-1030 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 555-12-615-13-680-14-736-15-796 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 500-11-555-12-615-13-667-14-723 (5) (5) (4) (4)	18
	1	Not less than Rs. 1700	
	2	Rs. 840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 665-30-785-35-925-45-1105-50-1306 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 590-21-674-23-766-25-866-27-974 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 530-11-585-12-645-13-697-14-753 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 475-10-525-11-580-12-628-13-680 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

ADMINISTRATIVE STAFF

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
III (Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores)	1	Not less than Rs. 1,500	
	2	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 555-19-631-21-715-23-807-25-907 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 500-10-550-11-605-12-653-13-705 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 450-9-495-10-545-11-589-12-637 (5) (5) (4) (4)	18
IV (Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore)	1	Not less than Rs. 1,400	
	2	Rs. 700-30-820-35-960-45-1095-50-1245 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 675-30-795-35-935-40-1055-45-1190 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 560-25-660-30-780-35-920-40-1080 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 505-17-573-19-649-21-733-23-825 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 465-9-510-10-560-11-604-12-652 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 425-8-465-9-510-10-550-11-594 (5) (5) (4) (4)	18
V (Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs)	1	Not less than Rs. 1,300	
	2	Rs. 660-30-780-35-920-40-1040-45-1175 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1060 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 460-15-520-17-588-19-664-21-748 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 400-9-445-10-495-11-539-12-587 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 350-7-385-8-425-9-461-10-501 (5) (5) (4) (4)	18
VI (Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs)	1	Not less than Rs. 1200	
	2	Rs. 630-30-750-35-890-40-1010-45-1145 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 575-25-675-30-795-35-935-40-1095 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 500-20-580-25-680-30-800-35-940 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 420-13-472-15-532-17-600-19-676 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 375-8-415-9-460-10-500-11-544 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 325-6-355-7-390-8-422-9-458 (5) (5) (4) (4)	18

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
VII (Less than Rs. 10 lakhs)	1	Not less than Rs. 1,150	
	2	Rs. 605-30-725-35-865-40-985-45-1120 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1060 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 480-20-560-25-660-30-780-35-920 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 410-11-454-13-506-15-566-17-634 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 355-7-390-8-430-9-466-10-506 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 300-5-325-6-355-7-383-8-415 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

FACTORY EMPLOYEES

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
1B (Rs. 25 crores and above)	1	Rs. 770-35-910-50-1110-60-1350-70-1560 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 700-30-820-40-980-50-1180-60-1420 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 675-30-795-35-935-45-1115-50-1315 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 650-30-770-35-910-40-1070-45-1250 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 600-25-725-27-860-29-976-31-1100 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 550-13-615-14-685-15-745-16-809 (5) (5) (4) (4)	18
1A (Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores).	1	Rs. 735-35-875-45-1055-55-1275-65-1470 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 670-30-790-35-930-45-1110-55-1330 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 645-30-765-35-905-40-1065-45-1245 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 620-30-740-35-880-40-1040-45-1220 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 570-23-685-25-810-27-918-29-1034 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 525-12-585-13-650-14-706-15-766 (5) (5) (4) (4)	18
I (Rs. 4 crores and above and less than Rs. 10 crores)	1	Rs. 700-30-820-40-980-50-1180-60-1360 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 640-30-760-35-900-40-1060-45-1240 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 615-30-735-35-875-40-1035-45-1215 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 590-25-690-30-810-35-950-40-1110 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 540-21-645-23-760-25-860-27-968 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 500-11-555-12-615-13-667-14-723 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

FACTORY EMPLOYEES

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
II (Rs. 2 crores and above and less than Rs. 4 crores)	1	Rs. 665-30-785-35-925-45-1105-55-1270 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 595-25-695-30-815-35-955-40-1115 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 570-25-670-30-790-35-930-40-1090 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 520-19-615-21-720-23-812-25-912 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 475-10-525-11-580-12-628-13-680 (5) (5) (4) (4)	18
III (Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores).	1	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-50-1200 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 595-25-695-30-815-35-955-40-1115 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 570-25-670-30-790-35-930-40-1090 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 550-25-650-30-770-35-910-40-1070 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 500-17-585-19-680-21-764-23-856 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 450-9-495-10-545-11-589-12-637 (5) (5) (4) (4)	18
IV (Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore).	1	Rs. 575-25-675-30-795-35-935-50-1085 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1060 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 520-25-620-30-740-35-880-40-1040 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 500-20-580-25-680-30-800-35-940 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 460-15-535-17-620-19-696-21-780 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 425-8-465-9-510-10-550-11-594 (5) (5) (4) (4)	18
V (Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs).	1	Rs. 490-25-590-30-710-35-850-45-985 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 460-25-560-30-680-35-820-40-980 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 440-20-520-25-620-30-740-35-880 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 420-20-500-25-600-30-720-35-860 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 380-13-445-15-520-17-588-19-664 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 350-7-385-8-425-9-461-10-501 (5) (5) (4) (4)	18

NON JOURNALISTS

FACTORY EMPLOYEES

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
VI (Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs).	1	Rs. 470-25-570-30-690-35-830-40-950 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 445-20-525-25-625-30-745-35-885 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 425-20-505-25-605-30-725-35-865 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 400-20-480-25-580-30-700-35-840 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 360-11-415-13-480-15-540-17-608 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 325-6-355-7-390-8-422-9-458 (5) (5) (4) (4)	18
VII (Less than Rs. 10 lakhs).	1	Rs. 445-25-545-30-665-35-805-40-925 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 415-20-495-25-595-30-715-35-855 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 390-15-450-20-530-25-630-30-750 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 365-15-425-20-505-25-605-30-725 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 330-9-375-11-430-13-482-15-542 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 300-5-325-6-355-7-383-8-415 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE II

RATES OF DEARNESS ALLOWANCE

Basic Pay Slabs	Amounts to be paid for every rise of six points over the index of 363 (1960=100) on 1st April and 1st October every year.
Upto Rs. 300	Rs. 5.00
Rs. 301 to 350	Rs. 5.25
Rs. 351 to 400	Rs. 5.50
Rs. 401 to 450	Rs. 6.00
Rs. 451 to 500	Rs. 6.50
Rs. 501 to 550	Rs. 7.00
Rs. 551 to 700	Rs. 8.00
Rs. 701 to 1000	Rs. 9.00
Rs. 1001 to 1150	Rs. 9.50
Rs. 1151 to 1300	Rs. 10.00
Rs. 1301 to 1600	Rs. 11.00
Rs. 1601 and above	Rs. 11.00

TABLE III
RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

Zone (1)	Pay Rs. (2)	Class IB (3)	Class IA (4)	Class I (5)	Class II (6)
'A'					
(Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per census of 1971).	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	8% of pay. Maximum Rs. 128 Rs. 128	7% of pay. Maximum Rs. 112 Rs. 112	6% of pay. Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay. Maximum Rs. 80 Rs. 80
'B'					
(Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1971).	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	7% of pay. Maximum Rs. 112 Rs. 112	6% of pay. Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay. Maximum Rs. 80 Rs. 80	4% of pay. Maximum Rs. 64 Rs. 64
'C'					
(Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per census of 1971).	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	6% of pay. Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay. Maximum Rs. 80 Rs. 80	4% of pay. Maximum Rs. 64 Rs. 64	3% of pay. Maximum Rs. 48 Rs. 48

TABLE IV
RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Night Shift allowance will be paid as follows :

Newspaper Establishments

Classes IB and IA	—	Rs. 4—per night.
Classes I and II		Rs. 3—per night.
Class III		Rs. 2 per night.

CHAPTER—IV
RECOMMENDATIONS

SECTION I

Preliminary

1. Definitions

The expressions, 'Newspaper Establishment', 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee', shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'. For the purpose of the recommendations in this Part, 'Newspaper Establishment' shall not include a News Agency.

'Accounting Year' used with reference to a particular year, shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is a calendar year, mean that a calendar year and shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is different from the calendar year, mean that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year.

Example : If the accounting year of a newspaper establishment starts from April 1st, reference to the accounting year 1977 in the succeeding paragraphs shall be construed as reference to the accounting year 1977-78 of such establishment. On the other hand, if the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st October, reference to the accounting year 1977 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1976-77 of that establishment.

In the case of a newspaper establishment where the accounting year starts from 1st July, the accounting year would be the year in which the first six months fall.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in paragraph 14.

'Gross Revenue' of a newspaper establishment means revenue derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation of and advertisements in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made by it out of funds earned in the newspaper business.

Revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the

extent to which the amount of commission so allowed is reasonable. Reasonable commission is one which is finally accepted by the Income Tax authorities in the case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income Tax authorities is available, the circulation commission shall be 28 per cent and the advertisement commission shall be 15 per cent of the respective revenues.

SECTION II

Classification of Newspaper Establishments

2. For the purpose of fixation of wages of Working Journalists, newspaper establishments shall be classified in the manner hereinafter provided.

3. Classification of newspaper establishments should be based on the average gross revenue of 3 accounting years 1977, 1978 and 1979.

4. In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforesaid 3 accounting years, its classification should be determined on the basis of its average gross revenue for these 2 years.

5. In the case of a newspaper establishment which have completed only one year of the said accounting years, its classification should be determined on the basis of its gross revenue for that year.

6. A new newspaper establishment *i.e.*, a newspaper establishment to which the provisions of paras 3, 4 and 5 do not, in terms, apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.

7. Notwithstanding anything said in paras 4 to 6 above, a newspaper establishment which is classified on the basis of 2 accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than class VII.

8. Where a classified newspaper establishment starts one of its old newspapers from a new centre where it has no other newspaper publication, it shall, so far as the new centre is concerned, be placed for the first 2 accounting years one class below the class in which it would be liable to be placed on the basis of its total gross revenue; and a classified newspaper establishment which starts a new newspaper from a centre where it has no other newspaper publication, shall be similarly liable to be placed in a lower class for 3 accounting years at the new centre. In either case, it shall not be placed lower than class VII, so far as the new centre is concerned.

9. The classification determined in accordance with the provisions of paragraphs 3 to 8 shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 13.

10. If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paragraphs 2 to 9 shall

apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenue for these years under the new owner.

11. Newspaper establishments shall be classified under the following 9 classes on the basis of their gross revenue :

Class	Gross Revenue
IB	Rs. 25 Crores and above.
IA	Rs. 10 Crores and above and less than Rs. 25 Crores.
I	Rs. 4 Crores and above and less than Rs. 10 Crores.
II	Rs. 2 Crores and above and less than Rs. 4 Crores.
III	Rs. 1 Crore and above and less than Rs. 2 Crores.
IV	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 Crore.
V	Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs.
VI	Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs.
VII	Less than Rs. 10 lakhs.

12. If the advertisement revenue derived by a newspaper establishment, other than one falling in class VII, is less than 40 per cent of its gross revenue reduced by advertisement revenue, it should be placed in the class next below that in which it would fall on the basis of its gross revenue.

Reclassification

13. It shall be open either to the Employer or to the Employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after the accounting year 1982 on the basis of the average gross revenue of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

SECTION III

Grouping of Working Journalists

14. I. Full time employees :

(a) In newspaper establishments of classes other than classes V, VI and VII.

Group 1. Editor.

Group 1A. Resident Editor, Associate Editor, Joint Editor, Deputy Editor.

Group 1B. Assistant Editor, Leader Writer, Chief of News Bureau, News Editor, Special Correspondent.

Group 2. Deputy or Assistant News Editor, Chief Reporter, Chief Sub-Editor, Sports Editor, Commercial Editor, Film Editor, Magazin Editor, Cartoonist, Chief of Statistical or Research Division, Chief News Photographer, Chief Librarian, Chief Index Assistant, Chief Calligraphist, Chief Artist, Principal Correspondent in State capitals accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent and other sectional or batch heads, not placed in a higher category.

Group 2A. Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor, Deputy Chief Reporter or Senior Reporter, Senior Correspondent, Senior Calligraphist, Senior Artist, Senior Librarian and Senior Index Assistant.

Group 3. Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Artist, Calligraphist, Librarian, Index Assistant, Chief Proof Reader.

Group 4. Proof Reader and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.

(b) In newspaper establishments of classes V, VI and VII :—

Group 1. Editor.

Group 1B. Assistant Editor, Leader Writer, News Editor, Special Correspondent.

Group 2. Chief Sub-Editor, Chief Reporter, Sports Editor, Commercial Editor, Cartoonist, Chief of Statistical Division, Chief of Research Division, Principal Correspondent in State Capitals accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent.

Group 3. Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Calligraphist, Artist, Librarian, Index Assistant and Chief Proof Reader.

Group 4. Proof Reader and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.

(For functional definitions of various categories of Working Journalists, See Schedule I)

II. *Part-time Employees* :—

'Part-time Correspondent' means a Correspondent who is a part time employee of a newspaper establishment and whose principal avocation is that of journalism.

15. It is not obligatory for a newspaper establishment to employ any or all of the categories mentioned

in the groups above. Some of the functions may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. Any of the categories mentioned in para 14 I above which is treated by any newspaper establishment as belonging to a higher group shall, so far as that establishment is concerned, continue in the higher group.

16. The principal duties performed by an employee should determine the category of such employee, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation.

SECTION IV

Remuneration

17. *Wages, Scales and Grades*

Working Journalists of different groups employed in different classes of newspaper establishments should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

Dearness Allowance

18. The existing fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance and Basic Wage including interim relief granted by Government by order dated 1st April, 1977 are pegged, as the case may be, at the All India Average Consumer Price Index Number 400 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1st January, 1979 and at Index Number 425 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1st January, 1980. The relevant date for the application of revised scales of pay and Dearness Allowance is 1st October, 1979 in the case of employees of Newspaper Establishments placed in classes IB, IA, I, II and III and the relevant date for employees of other establishments is 1st October, 1980. The new variable Dearness Allowance will be substituted for the old one on these two dates for the respective employees. In calculating the new variable Dearness Allowance, however, the old series with base 1949=100 will be discontinued and the series with base 1960=100 will be followed. The new variable Dearness Allowance will vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of the series 1960=100. It will be revised half-yearly on 1st April and 1st October at the rate of Rs. 5 for every variation of 6 points. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in Table II attached to the recommendations.

Part-time Correspondents

19. Every part-time Correspondent shall be paid not less than 1/3rd of the basic wage (Basic pay + D.A.) applicable to a full-time Correspondent at similar level. In addition, payment should be made to him on column basis, the rate to be settled by mutual negotiations. Provided that no newspaper establishment shall put any restriction on a part-time Correspondent that he will not work for more than one newspaper unless he is appointed full time.

SECTION V

Other Allowances

20. (a) *House Rent Allowance* :

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by newspaper establishments mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that (1) where an employee is provided residential accommodation by a newspaper establishment, no House Rent Allowance will be payable. (2) If an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision. (3) where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

(b) *Night Shift Allowance*

Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table IV attached herewith by newspaper establishments mentioned therein, provided that where an employee is already in receipt of Night Shift Allowance either in cash or kind or both, the same or the money value thereof shall be adjusted against the amount payable under this provision.

SECTION VI

21. *Fitment Rules* :

- (1) For the purpose of fitment rules an "employee" means a "Working Journalist".
- (2) The "Present Emoluments" of an employee shall mean his basic pay, Fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index Number 400 and 425 as the case may be, (base 1949=100) and Interim Relief (by way of *ad hoc* payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Working Journalists.
- (3) (a) The "Additional Emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "Present Emoluments" referred to in rule (2) granted by Newspaper Establishments, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in Basic wage, Dearness Allowance or Interim Relief.
- (b) The "Additional Allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or Dearness Allowance.

- (4) The "Revised Pay Scale" shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.
- (5) The revised pay scales and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1979 in respect of classes IB, IA, I, II and III. With regard to classes IV, V, VI and VII, the revised pay scales and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1980. These dates will be referred to hereinafter as the 'relevant dates'.
- (6) Every employee with his "Present Emoluments" will be brought on to the revised pay scale with effect from the relevant dates and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.
- (7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped up to the immediate next level.
- (8) In addition, every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the pay scale prior to the relevant date. The total number of increments shall not be more than two.

Provided that :

- (i) no employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.
- (ii) in no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments.
- (9) (a) These recommendations will not affect the terms and conditions on which the "Additional Emoluments" referred to in Rule (3)(a) were granted.
- (b) "Additional Allowances" referred to in Rule (3)(b) shall be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments of the revised pay scales.
- (10) Within six months from the date of publication of Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his existing pay scale and "Present Emoluments" or to come on the revised pay scale with effect from the relevant dates.
- (11) The "Present Emoluments" together with variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under Rule (10).

(12) When a newspaper establishment is reclassified under Para 13 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case, the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.

(13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant dates, he should be entitled to count increments in the appropriate scale as from that date.

22. A Working Journalist, during his apprenticeship period, shall be paid a stipend of 60 per cent of the basic pay and Dearness Allowance applicable to the post for which he is being trained.

23. Subject to the provisions of the standing orders applicable to a particular newspaper establishment, a Working Journalist may be employed as a probationer for a period not exceeding one year during which, he shall be paid basic pay of not less than the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowances attached to the post. In the case of a Working Journalist acting as a probationer in a higher post if he is drawing more than the minimum pay of the higher post, then, he should get 10 per cent of the minimum pay of the higher post in addition to his salary of the lower post during the probationary period.

Date of Operation :

24. (1) Recommendations with regard to Revised Scales of pay and Dearness Allowance shall be operative in respect of the respective newspaper establishments from the relevant date applicable to it in accordance with para 21(5).

(2) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.

Payment of Arrears :

25. The arrears payable, if any, as a result of retrospective operation provided in para 21(5) should be paid in not more than two instalments, not later than nine months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

SCHEDULE 1

Group 1

"Editor" is a person who directs and supervises the editorial side of a newspaper.

Group IA

"Resident Editor" is a person who performs the functions of an Editor of a newspaper at a centre other than the one from which the newspaper was originally published.

"Associate Editor" or "Joint Editor" or "Deputy Editor" is a person who generally assists the Editor in the performance of the work of the Editor.

Group IB

"Assistant Editor" is a person who regularly assists the Editor in the discharge of his duties generally in relation to comments and opinions and writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"Leader Writer" is a person who regularly writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"News Editor" is a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper.

"Chief of News Bureau" is a person who supervises the work of the news bureau and assigns work to the Bureau members.

"Special Correspondent" is a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or other-wise at the headquarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such.

Group 2

"Deputy or Assistant News Editor" is a person who assists the news editor in the discharge of his duties generally and/or is in-charge of bringing out the city edition.

"Chief Reporter" is a person who is in-charge of all reporters at a centre of publication, supervises their work and also regularly reports and interprets all news of legislative, political or general importance.

"Chief Sub-Editor" is a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the paper or in a particular edition or part of it.

"Sports Editor" is a person in-charge of the sports section of a newspaper, deals with news and views on sports and allied activities, allocates and supervises the work of one or more reporters and of one or more

sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of sports news.

“Commercial Editor” is a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.

“Film Editor” is a person who deals with news and views bearing on films and stage and is in-charge of specified column or page on stage and screen and supervises the work of one or more working journalists.

“Magazine Editor” is a person who deals with news and views bearing on literary or entertainment items of news value and is in-charge of specified columns or page in respect of literary or such other allied matters and supervises the work of two or more working journalists.

“Cartoonist” is a person who comments upon news and events through cartoons and caricatures.

“Chief of Statistical or Research Division” is a person in-charge of statistical or research division which deals with matters bearing on commerce, finance, trade and industry in a financial paper and supervises the work of one or more working journalists.

“Chief News Photographer” is a person who allocates and supervises the work of one or more news photographers.

“Chief Librarian” or “Chief Index Assistant” or “Chief Calligraphist” or “Chief Artist” is a person who supervises the work of one or more librarians, Index Assistants, Calligraphists and Artists respectively.

Group 2A

“Deputy Chief Sub-Editor” or “Senior Sub-Editor” is a person who regularly assists the Chief Sub-Editor in the discharge of his duties and acts in his place in his absence.

“Deputy Chief Reporter” or “Senior Reporter” is a person who assists the Chief Reporter and acts in his place in his absence.

“Senior Correspondent” is a person other than special and principal correspondent and his duties

include reporting on important news at any important centre other than the centre of publication and has put in service of not less than five years.

“Senior Calligraphist”, “Senior Artist”, “Senior Librarian” and “Senior Index Assistant” are persons who assist the Chief Calligraphist, Chief Artist, Chief Librarian and Chief Index Assistant respectively and have put in service of not less than five years.

Group 3

“Sub-Editor” is a person who receives, selects, shortens, summarises, elaborates, translates, edits, and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions.

“Reporter” is a person who gathers and presents news at a particular centre.

“Correspondent” is a person who gathers and dispatches by wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication.

“News Photographer” is a person who covers news events of public interest through photographs.

“Artist” is a person who prepares for publication drawing, layouts, maps, graphs or other similar embellishments, illustrations of any kind or of creative art. He may do some or all of these functions.

“Calligraphist” is an artist who performs journalistic work and also calligraphs matters.

“Librarian” or “Index Assistant” is a person who prepares and maintains records relating to news and views which are used as background or fill out for current stories. Persons not performing any of these functions shall not be covered.

“Chief Proof Reader” is one who allocates and supervises the work of one or more proof readers and is in-charge of a shift.

Group 4

“Proof Reader” is a person who checks up printed matter of proof with Editor’s copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling, mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected.

WORKING JOURNALISTS

TABLE I

Class of establishment	Group of employees	SCALE	Years
1B (Rs. 25 crores and above)	1	No Scale.	
	1A	Rs. 1800-150-2400-175-2925-200-3525 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1550-120-2030-140-2590-160-3070 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1400-90-1760-100-2160-130-2550-150-2850 (4) (4) (3) (2)	13

Class of establishment	Group of employees	SCALE	Years
IA (Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores)	2A	Rs. 1100-75-1475-90-1925-100-2225-135-2630 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 1000-65-1325-75-1700-90-2060-105-2480 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 800-40-1000-45-1225-55-1445-65-1705 (5) (5) (4) (4)	18
	1	No Scale.	
	1A	Rs. 1700-140-2260-165-2755-185-3310 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1450-110-1890-135-2430-155-2895 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1350-85-1690-90-2050-125-2425-145-2715 (4) (4) (3) (2)	13
I (Rs. 4 crores and above and less than Rs. 10 crores)	2A	Rs. 1050-70-1400-85-1825-95-2110-130-2500 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 950-60-1250-70-1600-85-1940-100-2340 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 750-35-925-40-1125-50-1325-60-1565 (5) (5) (4) (4)	18
	1	No Scale.	
	1A	Rs. 1600-125-2100-150-2550-180-3090 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1350-100-1750-125-2250-150-2700 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 (4) (4) (3) (2)	13
II (Rs. 2 crores and above and less than Rs. 4 crores)	2A	Rs. 950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 700-30-850-35-1025-45-1205-55-1425 (5) (5) (4) (4)	18
	1	Not less than Rs. 2,700	
	1A	Rs. 1400-100-1800-125-2175-150-2625 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1335-95-1715-120-2195-140-2615 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 650-30-800-35-975-45-1155-50-1355 (5) (5) (4) (4)	18

Class of establishment	Group of employees	SCALE	Years
III (Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores)	1	Not less than Rs. 2,400	
	1A	Rs. 1250-90-1610-100-1910-125-2285 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1200-70-1480-80-1800-100-2100 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 600-25-725-30-875-35-1015-40-1175 (5) (5) (4) (4)	18
IV (Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore)	1	Not less than Rs. 2,200	
	1A	Rs. 1100-80-1420-90-1690-110-2020 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1050-50-1250-60-1490-70-1700 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 550-25-675-30-825-35-965-40-1125 (5) (5) (4) (4)	18
V (Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs)	1	Not less than Rs. 1,500	
	1B	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 825-40-985-45-1165-50-1315-55-1425 (4) (4) (3) (2)	13
	3	Rs. 540-25-665-30-815-35-955-40-1115 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 500-20-600-25-725-30-845-35-985 (5) (5) (4) (4)	18
VI (Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs)	1	Not less than Rs. 1,200	
	1B	Rs. 700-40-860-45-1040-50-1190 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 625-35-765-40-925-45-1060-50-1160 (4) (4) (3) (2)	13
	3	Rs. 475-20-575-25-700-30-820-35-960 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	18

Class of establishment	Group of employees	Scale	Years
VII (Less than Rs. 10 lakhs)	1	Not less than Rs. 1,150	
	1B	Rs. 650-35-790-40-950-45-1085 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 540-30-660-35-800-40-920-45-1010 (4) (4) (3) (2)	13
	3	Rs. 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 400-15-475-20-575-25-675-30-795 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE II
RATES OF DEARNESS ALLOWANCE

Basic Pay Slabs	Amounts to be paid for every rise of six points over the index of 363 (1960 = 100) on 1st April and 1st October every year
Upto Rs. 300	Rs. 5.00
Rs. 301 to 350	Rs. 5.25
Rs. 351 to 400	Rs. 5.50
Rs. 401 to 450	Rs. 6.00
Rs. 451 to 500	Rs. 6.50
Rs. 501 to 550	Rs. 7.00
Rs. 551 to 700	Rs. 8.00
Rs. 701 to 1000	Rs. 9.00
Rs. 1001 to 1150	Rs. 9.50
Rs. 1151 to 1300	Rs. 10.00
Rs. 1301 to 1600	Rs. 11.00
Rs. 1601 and above	Rs. 11.00

TABLE III
RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

Zone	Pay Rs.	Class - IB	Class - IA	Class - I	Class - II
1	2	3	4	5	6
'A' (Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per census of 1971)	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above.	8% of pay Maximum Rs. 128 Rs. 128	7% of pay Maximum Rs. 112 Rs. 112	6% of pay Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay Maximum Rs. 80 Rs. 80
'B' (Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1971)	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above.	7% of pay Maximum Rs. 112 Rs. 112	6% of pay Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay Maximum Rs. 80 Rs. 80	4% of pay Maximum Rs. 64 Rs. 64
'C' (Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per census of 1971).	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	6% of pay Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay Maximum Rs. 80 Rs. 80	4% of pay Maximum Rs. 64 Rs. 64	3% of pay Maximum Rs. 48 Rs. 48

TABLE IV
RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Night Shift Allowance will be paid as follows :—

Newspaper Establishments

Class I-B and I-A	Rs. 4 per night.
Class I and II	Rs. 3 per night.
Class III	Rs. 2 per night.

CHAPTER—VI

RECOMMENDATIONS

SECTION I

Preliminary

1. Definitions :

The expressions, 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee' shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'.

A News Agency is an establishment conducting a news agency and shall include the 4 Indian News Agencies viz., (1) The Press Trust of India, (2) The United News of India, (3) Hindustan Samachar and (4) Samachar Bharati.

'Accounting Year' shall mean the corresponding financial year of a News Agency.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in Paras 7 and 8.

'Gross Revenue' of a News Agency means its total revenue from all sources, including subscription revenue derived by selling its services.

SECTION II

2. For the fixation of wages of the Journalist and Non-Journalist Newspaper Employees of News Agencies, the latter shall be classified in the manner hereinafter provided.

3. Classification of the News Agencies shall be based on the average gross revenue for a year calculated on the basis of the gross revenue derived by them from 14th April, 1978 to 31st December, 1979.

4. Classification determined in accordance with paragraph 3 above shall continue until the News Agency is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 6.

5. News Agencies shall be classified under the following 4 classes on the basis of their gross revenue—

Class	Gross Revenue
I	Rs. 2 Crores and above.
II	Rs. 1 Crore and above and less than Rs. 2 Crores.
III	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 Crore.
IV	Less than Rs. 50 lakhs.

Note : Foreign News Agencies, i.e., those operating in India with their principal office outside India shall be treated as Class I News Agencies.

6. It shall be open either to the Employer or to the Employee to seek a reclassification of a News Agency after the accounting year 1982 on the average gross revenue of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

SECTION III

7. Grouping of Journalist Employees :—

I. Full time employees

Group 1 Chief Editor, Deputy Chief Editor,

Group 1A Chief of Divisional Bureau, Editor and other equivalent posts.

Group 1B Special Correspondent, Foreign Correspondent, News Editor, Chief Reporter, Chief of State Bureau.

Group 2 Chief Sub-Editor, Senior Correspondent.

Group 2A Senior Sub-Editor, Senior Reporter.

Group 3 Sub-Editor, Correspondent, Reporter (For definitions, see Schedule attached hereto).

II. Part-time-Employees

They are part-time Correspondents whose principal avocation is that of journalism.

8. *Grouping of Non-Journalist Employees*

Group 1.

- (a) Chief of Administration, Financial Controller-cum-Secretary.
- (b) Chief Engineer, Accounts Manager, Manager (Personnel), Manager (Promotion and Development).
- (c) Deputy Chief Engineer, Internal Auditor and equivalent administrative posts.

Group 2 Regional Engineer, Regional Transmission in-charge, Accounts Officer, Administrative Officer and equivalent post.

Group 3 Transmission Supervisor, Engineer, Librarian, Caretaker and other equivalent posts.

Group 4 Senior Operator, Senior Technician, Assistant, Stenographer.

Group 5 Clerk, Typist, Junior Technician, Junior Operator, Skilled Worker, Car Driver, Telephone Operator.

Group 6 Attender, Havaladar, Record Keeper, Gestetner Operator.

Group 7 Peon, Sweeper, Chowkidar, Mali.

NOTE :—

Although several categories of employees are mentioned in the above 7 Groups, recommendations with regard to wage fixation and revision shall be confined to only such of those who fall within the definition of 'Non-Journalist Newspaper Employees' under the Act.

9. It is not obligatory for a News Agency to employ any or all of the categories mentioned in the groups above. Functions of some categories may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. In other cases, the principal duties performed by an employee should determine the category of the employee, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation. If any News Agency has placed any of the categories mentioned in paras 7 and 8 in a higher group, that category shall continue in the higher group.

SECTION IV

Remuneration

10. The Working Journalist and the Non-Journalist Newspaper Employees of different Groups employed in different classes of News Agencies should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

1105 GJ/80-7

Dearness Allowance

11. The existing fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance and Basic Wage including Interim Relief granted by Government by order dated 1st April, 1977 are pegged at the All India Average Consumers Price Index Number 425 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1st January 1980. The relevant date for the application of revised scales of pay and Dearness Allowance is 1st October, 1980. The new variable Dearness Allowance will be substituted for the old one on this date. In calculating the new variable Dearness Allowance, however, the old series with base 1949=100 will be discontinued and the series with base 1960=100 will be followed. The new variable Dearness Allowance will vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of the series 1960=100. It will be revised half-yearly on 1st April and 1st October at the rate of Rs. 5 for every variation of 6 points. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in Table II attached to the recommendations.

12. Every part-time Correspondent shall be paid not less than 1/3rd of the basic wage (Basic pay + D.A.) applicable to a full-time Correspondent at similar level. No News Agency shall put any restriction on a part-time Correspondent that he will not work for any other News Agency unless he is appointed full time.

SECTION V

*Other Allowances*13. (a) *House Rent Allowance :*

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by News Agencies mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that (1) where an employee is provided residential accommodation by a News Agency, no House Rent Allowance will be payable, (2) if an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision, (3) where a News Agency contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

13. (b) *Night Shift Allowance :*

Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table IV attached herewith by News Agencies mentioned therein. Provided that where an employee is already in receipt of Night shift allowance either in cash or kind or both, the same or the money value thereof shall be adjusted against the amount payable under this provision.

SECTION—VI

Fitment Rules :

14. (1) For the purpose of fitment rules, and employee means both a Working Journalist and Non-Journalist Newspaper Employee of the News Agency.

(2) The 'Present Emoluments' of an employee shall mean his Basic Pay, fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index Number 425 (Base 1949=100) and Interim Relief (by way of *ad-hoc* payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees.

(3) The 'Additional Emoluments' of an employee shall mean, emoluments other than the 'Present Emoluments' referred to in rule (2) granted by News Agencies as a result of collective bargaining, agreement or award as increase in Basic Wage, Dearness Allowance or Interim Relief.

(4) The 'Revised Pay Scale' shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.

(5) The revised scales of pay and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1980 referred to hereinafter as the "relevant date".

(6) Every employee with his 'Present Emoluments' will be brought on to the revised pay scale with effect from the 'relevant date' and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.

(7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped upto the immediate next level.

(8) (1) No employee shall get more than the maximum of the revised scale as a result of fitment, (2) In no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments.

(9) These recommendations will not affect the terms and conditions on which the additional emoluments referred to in rule (3) have been granted.

(10) Within six months from the date of publication of the Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his existing pay scale and 'Present Emoluments' or to come on the revised pay scale with effect from the relevant date.

(11) The 'Present Emoluments' together with variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under rule (10).

(12) When a News Agency is reclassified under Para 6 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the

basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage, when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.

(13) When an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant date, he should be entitled to count increments in the appropriate scale as from that date.

15. A person being trained by the News Agency as an apprentice, shall, during the apprenticeship period be paid a stipend of 60% of the Basic pay and allowances applicable to the post for which he is being trained.

16. Subject to the standing orders applicable to the News Agency, a Journalist or a Non-Journalist employee of the News Agency may be employed on probation for a period not exceeding one year during which he shall be paid the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowances attached to the post. If an employee, Journalist or non-journalist, acts as a probationer in a higher post, then he should get 10% of the minimum of the higher post in addition to his scale of the lower post during the probationary period.

17. *Date of Operation*

(1) Recommendations with regard to the revised scales of pay and Dearness Allowance shall be operative from the 'relevant date' mentioned in paragraph 14(5).

(2) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.

18. *Payment of Arrears*

The arrears, if any, payable as a result of these proposals shall be paid in not more than 2 instalments, not later than 9 months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

SCHEDULE

(Para-7)

1. 'Chief Editor' is a person who is in overall charge of a News Agency.

2. 'Deputy Chief Editor' is a person who assists the Chief Editor in the discharge of his duties and acts for him during his absence.

3. 'Chief of Divisional Bureau' is a person who is in-charge of the central news desk of the entire News Agency and who supervises, guides and directs news services in metropolitan centres, i.e., Delhi, Calcutta, Bombay and Madras.

4. 'Editor' is a person who directs and supervises the work of the editorial side of the News Agency.

5. 'Special Correspondent' is a person who is accredited to the Union Government and whose regular duties are to report news of Parliamentary, political or general importance or a person in a metropolitan centre who specialises in covering news of economic importance or national or international nature.

6. 'Foreign Correspondent' is a person stationed abroad for news coverage from the country or part of the country to which he is assigned.

7. 'News Editor' is a person who is in charge of a news desk or regional news at a metropolitan centre and who supervises, directs and guides the different news services.

8. 'Chief of State Bureau' is a person who guides and directs collection of news of all types in a State Capital.

9. 'Chief Reporter' is a person in a metropolitan centre who is in-charge of all reporters in that centre, and reports all news of legislative, political or general importance.

10. 'Senior Correspondent' is a person in the metropolitan centre whose regular duties are to report

news of Parliamentary, political or general importance or a person regularly assigned to cover news of economic and commercial importance, Courts and national sports.

11. 'Chief Sub-Editor' is a person in the metropolitan centre who regularly takes charge of a shift on the editorial desk, assigns and supervises the work of Sub-Editors.

12. 'Senior Sub-Editor' is a person in the metropolitan centre who is regularly assigned to take charge of a shift other than the main shifts on the editorial desk or whose regular duties include preparation of news dispatches for special subscribers.

13. 'Senior Reporter' is a person whose regular duties include reporting of State Government news or proceedings of State Legislature.

14. 'Sub-Editor' is a person who receives, selects, shortens, summaries, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and he may do some or all the functions.

15. 'Reporter' is a person who gathers and presents the news at a particular centre.

16. 'Correspondent' is a person who gathers and dispatches by wire, post or any other means, news from any centre.

TABLE I

WORKING JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
I	1	No Scale.	
(Rs. 2 crores and above).	1A	Rs. 1600-125-2100-150-2550-180-3090 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1350-100-1750-125-2250-150-2700 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 (5) (5) (4) (4)	18
II	1	Not less than Rs. 2700 per month.	
(Rs. 1 crore and above but less than Rs. 2 crores).	1A	Rs. 1400-100-1800-125-2175-150-2625 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1335-95-1715-120-2195-140-2615 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE I—Contd.
WORKING JOURNALIST—Contd.

Class	Group	Pay Scale	Years
III (Rs. 50 lakhs and above but less than Rs. 1 crore).	1	Not less than Rs. 2400 per month.	
	1A	Rs. 1250-90-1610-100-1910-125-2285 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1200-70-1480-80-1800-100-2100 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 850-50-1100-70-1400-70-1610-80-1850 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 (5) (5) (4) (4)	18
IV (Less than Rs. 50 lakhs).	1	Not less than Rs. 2200 per month.	
	1A	Rs. 1100-80-1420-90-1690-110-2020 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1050-50-1250-60-1490-70-1700 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE I
NON JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
I (Rs. 2 crores and above).	1	No Scale.	
	2	Rs. 1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 610-23-702-25-802-27-910-30-1030 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 555-12-615-13-680-14-736-15-796 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 500-11-555-12-615-13-667-14-723 (5) (5) (4) (4)	18
II (Rs. 1 crore and above but less than Rs. 2 crores).	1	No Scale.	
	2	Rs. 840-40-1000-45-1180-55-1345-65-154 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 590-21-674-23-766-25-866-27-974 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 530-11-585-12-645-13-697-14-753 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 475-10-525-11-580-12-628-13-680 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE I
NON JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
III	1	No Scale.	
(Rs. 50 lakhs and above less than Rs. 1 crore).	2	Rs. 770-35-910-40-1070-57-1220-55-1385 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 555-19-631-21-715-23-807-25-907 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 500-10-550-11-650-12-653-13-705 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 450-9-495-10-545-11-589-12-637 (5) (5) (4) (4)	18
IV	1	No Scale.	
(Less than Rs. 50 lakhs).	2	Rs. 700-30-820-35-960-45-1095-50-1245 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 675-30-795-35-935-40-1055-45-1190 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 505-17-573-19-649-21-733-23-825 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 465-9-510-10-560-11-604-12-652 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 425-8-465-9-510-10-550-11-594 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE II
RATES OF DEARNESS ALLOWANCE

Basic pay slabs	Amounts to be paid for every rise of six points over the Index of 363 (1960=100) on 1st April and 1st October every year
1	2
Upto Rs. 300	Rs. 5.00
Rs. 301 to 350	Rs. 5.25
Rs. 351 to 400	Rs. 5.50
Rs. 401 to 450	Rs. 6.00
Rs. 451 to 500	Rs. 6.50
Rs. 501 to 550	Rs. 7.00
Rs. 551 to 700	Rs. 8.00
Rs. 701 to 1000	Rs. 9.00
Rs. 1001 to 1150	Rs. 9.50
Rs. 1151 to 1300	Rs. 10.00
Rs. 1301 to 1600	Rs. 11.00
Rs. 1601 and above	Rs. 11.00

TABLE III
RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

Zone	Basic pay Rs.	Class I	Class II
'A' (Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per census of 1971)	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	6% of pay Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay Maximum Rs. 80 Rs. 80
'B' (Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1971)	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	5% of pay Maximum Rs. 80 Rs. 80	4% of pay Maximum Rs. 64 Rs. 64
'C' (Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per census of 1971)	Rs. 300 to 1600 Rs. 1601 and above	4% of pay Maximum Rs. 64 Rs. 64	3% of pay Maximum Rs. 48 Rs. 48

TABLE IV
RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Night Shift Allowance will be paid as follows :—

NEWS AGENCIES

Class I and II	Rs. 3 per night.
Class III	Rs. 2 per night.